उत्तर प्रदेश शासन

व्यय की नई मदें, जिन्हें 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है

NIEPA DC
D08272

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-8272
DOC, No ....
Date 05-10-94

प्रास्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मदों की सूचना दी गई है। भाग -1 में आयोजनागत पक्ष की नई मदें तथा भाग -2 में आयोजनेतर पक्ष की नई मदें प्रदर्शित की गई हैं।

प्रत्येक भाग में सूचना के बाद नई मदों के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं जिनसे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत जांच आय-व्ययक को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नहीं की जा सकी। ऐसी योजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत जांच कर ली जायगी और यदि आवश्यक हुआ तो पदों की संख्या एवं वेतनक्रमों इत्यादि में यथोचित संशोधन कर दिया जायगा।

1994-95 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदों द्वारा सम्मिलित प्राविधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

(हजार रुपयों में)

क–राजस्व लेखा कुल व्यय	आयोजनागत ...	22,76,98
	आयोजनेतर ...	1,87,12
योग, राजस्व लेखा		24,64,10
ख–पूंजी लेखा कुल व्यय	आयोजनागत ...	91,38,38
	आयोजनेतर ...	65,89,19
योग, पूंजी लेखा	...	1,57,27,57
कुल योग	आयोजनागत ...	1,14,15.36
	आयोजनेतर ...	67,76,31
		1,81,91,67

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
1	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	19,05	...	5,00	24,05	1–4 प
2	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	17,42	...	...	17,42	5–8 प
3	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	...	...	5,60,00	5,60,00	9–12 प
4	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	20,00	...	...	20,00	13–16 प
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	...	4,55,00	17,20,00	21,75,00	17–22 प
6	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	1,05,58	78,00	...	1,83,58	23–32 प
7	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	3,00,00	...	...	3,00,00	33–36 प
8	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,50,00	...	...	3,50,00	37–40 प
9	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	...	60,99	...	60,99	41–44 प
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	5,00	50,00	50,00	1,05,00	45–48 प
11	खेल विभाग	28,78	...	...	28,78	49–52 प
12	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	...	14,61,00	...	14,61,00	53–56 प
13	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान)	80,72	...	...	80,72	57–60 प
14	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2,75,59	42,00	...	3,17,59	61–70 प
15	न्याय विभाग	...	2,00,00	...	2,00,00	71–74 प
16	पर्यटन विभाग	...	2,63,11	...	2,63,11	75–78 प
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	...	58,00	...	58,00	79–82 प
18	लोक निर्माण विभाग	...	34,58,29	...	34,58,29	83–86 प
19	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4,15	...	...	4,15	87–90 प
20	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	1	...	...	1	91–94 प
21	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	31,52	...	...	31,52	95–98 प
22	श्रम विभाग (सेवायोजन)	5,92,24	19,00	...	6,11,24	99–106 प
23	सांस्कृतिक कार्य विभाग	72,69	10,00	...	82,69	107–116 प
24	उत्तराखण्ड विकास विभाग	3,74,23	4,67,99	1,80,00	10,22,22	117–133 प
	योग	22,76,98	66,23,38	25,15,00	1,14,15,36	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)			टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजी लेखे का व्यय		योग	
			पूंजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
1	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	...	...	60,00,00	60,00,00	137–140 न
2	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	...	...	5,00,00	5,00,00	141-144 न
3	गृह विभाग (पुलिस)	3,55	...	...	3,55	145-148 न
4	नागरिक उड्डयन विभाग	46,12	...	...	46,12	149-152 न
5	न्याय विभाग	28,23	...	...	28,23	153-160 न
6	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	13,18	...	...	13,18	161-164 न
7	राजस्व विभाग	49,86	...	...	49,86	165-168 न
8	राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग	21,49	...	...	21,49	169-172 न
9	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा-प्रशासन)	22,71	89,19	...	1,11,90	173-178 न
10	विधान सभा सचिवालय	1,98	...	...	1,98	179-181 न
	योग	1,87,12	89,19	65,00,00	67,76,31	

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की नई मदों (आयोजनागत) के योग, अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं

आनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4
3	2851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	4,05	-
	3453— विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	-	15,00
	6885— उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज	-	5,00
4	2853— अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	-	17,42
5	6851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये उधार	4,70,00	90,00
6	2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	20,00	-
7	4859— दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	4,55,00
	6885— उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	-	17,20,00
10	2401— फसल कृषि कर्म	41,66	51,92
	2435— अन्य कृषि कार्यक्रम	12,00	-
	4401— फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	-	78,00
11	2402— मृदा तथा जल संरक्षण	3,00,00	-
14	2204— खेलकूद तथा युवा सेवायें	99,77	2,50,23
16	4404— डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	-	60,99
18	2425— सहकारिता	5,00	-
	4425— सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	50,00	-
	6425— सहकारिता के लिये कर्ज	-	50,00
22	2204— खेलकूद तथा युवा सेवायें	28,78	-
24	4860— उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-	14,61,00
31	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	50,72	30,00
32	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	75,09	2,00,50
	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	22,00	20,00
42	4059— लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	-	2,00,00
44	5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	-	2,63,11
47	4202— शिक्षा, खेलकूद,कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	-	58,00
58	5054— सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	34,58,29
70	3425— अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4,15	-
73	2202— सामान्य शिक्षा	-	1
76	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	-	31,52
77	2230— श्रम और रोजगार	14,08	5,78,16
	4250— अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	19,00
92	2205— कला एवं संस्कृति	35,21	37,48
	4202— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	-	10,00
95	2551— पहाड़ी क्षेत्र	47,28	2,74,95
	4551— पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4,07,99	1,12,00
	6551— पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कर्ज	-	1,80,00
	कुल योग	16,87,78	97,27,58
		1,14,15,36	

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की नई मदों (आयोजनेत्तर) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में)	
		आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4
7	6885— उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	–	60,00,00
16	6404— डेरी विकास के लिये कर्ज	–	5,00,00
26	2055— पुलिस	3,25	30
38	2070— अन्य प्रशासनिक सेवायें	–	46,12
42	2014— न्याय प्रशासन	8,61	17,62
	2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	–	2,00
49	2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,18	–
52	2029— भू-राजस्व	49,86	–
53	2070— अन्य प्रशासनिक सेवायें	5,00	–
	2202— सामान्य शिक्षा	16,49	–
63	2054— खजाना तथा लेखा प्रशासन	8,18	14,53
	4059— लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	–	89,19
68	2011— संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	–	1,98
	कुल योग	1,04,57	66,71,74
		67,76,31	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6
3	2851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	(1) राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट शिल्पियों तथा चयनित कारीगरों के अधीन प्रशिक्षण योजना	4,05	–	3 प
		लेखा शीर्षक 2851 का योग–	4,05	–	
	3453— विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्द्धन	(1) जरी जरदोजी शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना	–	5,00	3 प
	तदैव	(2) कानपुर (जाजमऊ) में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास के प्रसार केन्द्र की स्थापना	–	10,00	4 प
		लेखा शीर्षक 3453 का योग–	–	15,00	
	6885— उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज	(1) भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रिवाल्विंग फण्ड हेतु ऋण	–	5,00	4 प
		लेखा शीर्षक 6885 का योग–	–	5,00	
		अनुदान संख्या 3 का योग–	4,05	20,00	
4	2853— अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	(1) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अन्तर्गत स्थापित वेधन यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु वेधन साज-सज्जा का क्रय	–	6,00	7 प
	तदैव	(2) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में स्थित प्रयोगशाला हेतु भू-भौतिकी सर्वेक्षण हेतु मैग्नेटो मीटर का क्रय	–	4,50	7 प
	तदैव	(3) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में स्थित एमीशन स्पेक्ट्रोग्राफिक प्रयोगशाला हेतु कतिपय उपकरणों का क्रय	–	6,92	8 प
		लेखा शीर्षक 2853 का योग–	–	17,42	
		अनुदान संख्या 4 का योग–	–	17,42	
5	6851— ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज	(1) रुग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन हेतु ऋण	–	50,00	11 प
	तदैव	(2) एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना	4,70,00	–	11 प
	तदैव	(3) जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना	–	40,00	12 प
		लेखा शीर्षक 6851 का योग–	4,70,00	90,00	
		अनुदान संख्या 5 का योग–	4,70,00	90,00	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6
6	2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	(1) हथकरघा बुनकरों के लिये सामूहिक बीमा योजना	20,00	–	15 प
		लेखा शीर्षक 2235 का योग–	20,00	–	
		अनुदान संख्या 6 का योग–	20,00	–	
7	4859— दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	(1) उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की संयुक्त/सहायतित क्षेत्र की परियोजनाओं में सहभागिता हेतु अंशपूंजी	–	50,00	19 प
	तदैव	(2) उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम को इलेक्ट्रानिक्स सिटी की स्थापना हेतु अंशपूंजी	–	75,00	19 प
	तदैव	(3) उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं नये उत्पादों हेतु अंशपूंजी	–	1,30,00	20 प
	तदैव	(4) उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की सहायक कम्पनी अपट्रान इंडिया लि० के विद्यमान कार्यकलापों को सशक्त करने हेतु अंशपूंजी	–	2,00,00	20 प
		लेखाशीर्षक 4859 का योग–	–	4,55,00	
	6885— उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	(1) प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) को व्यवसाय हेतु ऋण	–	5,10,00	21 प
	तदैव	(2) ग्रेटर नोएडा की स्थापना हेतु ऋण सहायता	–	5,00,00	21 प
	तदैव	(3) उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास नि० लि० को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ऋण	–	4,30,00	21 प
	तदैव	(4) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) को ब्याज रहित बिक्रीकर ऋण योजनान्तर्गत ऋण	–	50,00	22 प
	तदैव	(5) गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को ऋण सहायता	–	2,30,00	22 प
		लेखा शीर्षक 6885 का योग–	–	17,20,00	
		अनुदान संख्या 7 का योग–	–	21,75,00	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6
10	2401— फसल कृषि कर्म	(1) सत्य आलू बीज प्रौद्योगिकी का विकास	3,40	–	25 प
	तदैव	(2) फूलों की व्यावसायिक खेती की योजना	15,38	6,42	25 प
	तदैव	(3) मशरूम की खेती का विकास	11,00	20,50	27 प
	तदैव	(4) वर्तमान आलू बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	8,50	23,00	28 प
	तदैव	(5) पान विकास की योजना	1,93	–	29 प
	तदैव	(6) पैकेजिंग वस्तुओं तथा विधियों के विकास कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	1,45	2,00	29 प
		लेखा शीर्षक 2401 का योग–	41,66	51,92	
	2435— अन्य कृषि कार्यक्रम	(1) प्रारम्भिक औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान	12,00	–	31 प
		लेखा शीर्षक 2435 का योग–	12,00	–	
	4401— फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	(1) ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में ग्रीन हाउस का निर्माण	–	60,00	31 प
	तदैव	(2) औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर छात्रावासों का निर्माण	–	18,00	31 प
		लेखा शीर्षक 4401 का योग–	–	78,00	
		अनुदान संख्या 10 का योग–	53,66	1,29,92	
11	2402— मृदा तथा जल संरक्षण	(1) चम्बल तथा यमुना नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़, सुधार की योजना	1,00,00	–	35 प
	तदैव	(2) उ० प्र० में क्षारीय भूमि सुधार की योजना	2,00,00	–	35 प
		लेखा शीर्षक 2402 का योग–	3,00,00	–	
		अनुदान संख्या 11 का योग–	3,00,00	–	
14	2204 —खेलकूद तथा युवा सेवायें	(1) प्रदेश के प्रतिभाशाली पहलवानों को कुश्ती का प्रशिक्षण	99,77	2,50,23	39 प
		लेखा शीर्षक 2204 का योग	99,77	2,50,23	
		अनुदान संख्या 14 का योग	99,77	2,50,23	
16	4404— डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	(1) दुग्ध संघों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था	–	60,99	43 प
		लेखा शीर्षक 4404 का योग–	–	60,99	
		अनुदान संख्या 16 का योग–	–	60,99	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
18	2425— सहकारिता	(1)	सहकारी एवं कारपोरेट प्रबन्ध एवं शोध संस्थान को राज्य सरकार की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अनुदान	5,00	–	47 प
			लेखा शीर्षक 2425 का योग–	5,00	–	
	4425— सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की पुनर्स्थापना	50,00	–	47 प
			लेखा शीर्षक 4425 का योग–	50,00	–	
	6425— सहकारिता के लिए कर्ज	(1)	सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की पुनर्स्थापना	–	50,00	47 प
			लेखा शीर्षक 6425 का योग–	–	50,00	
			अनुदान संख्या 18 का योग–	55,00	50,00	
22	2204— खेलकूद तथा युवा सेवायें	(1)	क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों की दैनिक आहार दरों का संशोधन	12,40	–	51 प
	तदैव	(2)	स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ एवं गोरखपुर के छात्रों की दैनिक आहार दरों का संशोधन	16,38	–	51 प
			लेखा शीर्षक 2204 का योग–	28,78	–	
			अनुदान संख्या 22 का योग–	28,78	–	
24	4860— उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	उ० प्र० राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय	–	6,30,00	55 प
	तदैव	(2)	सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन	–	8,31,00	55 प
			लेखा शीर्षक 4860 का योग–	–	14,61,00	
			अनुदान संख्या 24 का योग–	–	14,61,00	
31	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	(1)	के० जी० मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान	50,00	10,00	59 प
	तदैव	(2)	राजकीय मेडिकल कालेज आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ में डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु उपकरणों का क्रय	–	8,00	59 प
	तदैव	(3)	मेडिकल कालेज, आगरा में स्थापित गामा कैमरा को सुचारु रूप से चलाने हेतु पदों का सृजन	72	–	60 प
	तदैव	(4)	प्रदेश के मेडिकल कालेजों आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी तथा गोरखपुर में इनसिनिरेटर की स्थापना	–	12,00	60 प
			लेखा शीर्षक 2210 का योग–	50,72	30,00	
			अनुदान संख्या 31 का योग–	50,72	30,00	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6
32	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	(1) प्रदेश के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों की व्यवस्था	–	13,00	63 प
	तदैव	(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कम्प्यूटर सेल की स्थापना	25	165	63 प
	तदैव	(3) महिला अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	2,17	–	64 प
	तदैव	(4) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	9,00	3,75	65 प
	तदैव	(5) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लीगल सेल की स्थापना	1,74	15	65 प
	तदैव	(6) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	26,96	1,20,00	66 प
	तदैव	(7) डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं सुधार	29,97	61,95	67 प
	तदैव	(8) प्रदेश के चिकित्सालयों/औषधालयों हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	5,00	–	69 प
		लेखा शीर्षक 2210 का योग–	75,09	2,00,50	
	4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	(1) प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में जलसम्पूर्ति, विद्युतीकरण, नवीनीकरण एवं सुधार/विस्तार (जिला योजना)	22,00	–	70 प
	तदैव	(2) उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण	–	20,00	70 प
		लेखा शीर्षक 4210 का योग–	22,00	20,00	
		अनुदान संख्या 32 का योग–	97,09	2,20,50	
42	4059— लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	(1) जनपद कानपुर तथा गाजियाबाद में न्यायालय भवनों का निर्माण	–	2,00,00	73 प
		लेखा शीर्षक 4059 का योग–	–	2,00,00	
		अनुदान संख्या 42 का योग–	–	2,00,00	
44	5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	(1) जापानी सहायता से दोहरीघाट एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण	1,83,72	1,83,72	77 प

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में)		पृष्ठ संख्या
				आवर्तक	अनावर्तक	
1	2		3	4	5	6
44	5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	(2)	उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आवासीय इकाइयों का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण	–	3,04	77 प
	5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	(3)	संकिसा (फर्रुखाबाद) में मार्गीय सुविधा का निर्माण	–	25,45	78 प
	तदैव	(4)	श्रावस्ती (बहराइच) में मार्गीय सुविधा का निर्माण	–	25,45	78 प
	तदैव	(5)	कुशीनगर (देवरिया) में मार्गीय सुविधा का निर्माण	–	25,45	78 प
			लेखा शीर्षक 5452 का योग–	–	2,63,11	
			अनुदान संख्या 44 का योग–	–	2,63,11	
47	4202— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मेरठ के अपने निजी भवन निर्माण हेतु भूमि का क्रय	–	20,00	81 प
	तदैव	(2)	राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर एवं बिजनौर के निजी भवनों हेतु अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान	–	38,00	81 प
			लेखा शीर्षक 4202 का योग–	–	58,00	
			अनुदान संख्या 47 का योग–	–	58,00	
58	5054— सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर पुलों एवं राज्य मार्गों का निर्माण	–	18,86,33	85 प
	तदैव	(2)	प्रदेश के विभिन्न जिला मार्गों पर पुलों एवं जिला मार्गों का निर्माण	–	15,71,96	85 प
			लेखा शीर्षक 5054 का योग–	–	34,58,29	
			अनुदान संख्या 58 का योग–	–	34,58,29	
70	3425— अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	(1)	राजकीय वेधशाला, नैनीताल का सुदृढ़ीकरण	4,15	–	89 प
			लेखा शीर्षक 3425 का योग–	4,15	–	
			अनुदान सख्या 70 का योग–	4,15	–	
73	2202— सामान्य शिक्षा	(1)	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने हेतु अनुदान	–	1	93 प
			लेखा शीर्षक 2202 का योग–	–	1	
			अनुदान संख्या 73 का योग–		1	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
76	2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	(1)	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाण्डु नगर, कानपुर में आई०सी०सी० यूनिट की स्थापना	_	31,52	97 प
			लेखा शीर्षक 2210 का योग—	_	31,52	
			अनुदान संख्या 76 का योग—	_	31,52	
77	2230— श्रम और रोजगार	(1)	मशीन अनुरक्षण कर्मशाला, लखनऊ हेतु अवशेष साज-सज्जा का क्रय तथा पदों का सृजन	2.82	15,84	101 प
	तदैव	(2)	विश्व बैंक योजनान्तर्गत मशीनों का क्रय	_	1,15,00	102 प
	तदैव	(3)	14 सेवायोजन कार्यालयों का संगणीकरण, उपस्करों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध	2,00	_	103 प
	तदैव	(4)	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ़, बुलन्दशहर, सहारनपुर तथा मिर्जापुर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग व्यवसाय खोला जाना	1,13	28,14	103 प
	तदैव	(5)	आगरा, बरेली तथा फतेहपुर में पूर्व में स्वीकृत आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु पदों का सृजन	8,13	18,68	104 प
	तदैव	(6)	भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मशीनों के मूल्य के राज्यांश हेतु व्यवस्था	_	4,00,50	105 प
			लेखा शीर्षक 2230 का योग—	14,08	5,78,16	
	4250— अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी का भवन निर्माण	_	19,00	105 प
			लेखा शीर्षक 4250 का योग—	_	19,00	
			अनुदान संख्या 77 का योग—	14,08	5,97,16	
92	2205— कला एवं संस्कृति	(1)	प्रदेश के अवध, भोजपुरी, गढ़वाल, कुमाऊं एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लोक संस्कृति के सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा संवर्धन की योजना	_	2,80	109 प

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या	
1	2		3	4	5	6	
92	2205— कला एवं संस्कृति	(2)	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के लिये कम्प्यूटर का क्रय	_	90	109	प
	तदैव	(3)	उ०प्र० के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना	3,84	_	109	प
	तदैव	(4)	भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	_	3,00	110	प
	तदैव	(5)	सांस्कृतिक कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन स्थापित नये संग्रहालयों में गाड़ी तथा दूरभाष की व्यवस्था	56	5,07	110	प
	तदैव	(6)	कुशीनगर, देवरिया के संग्रहालय का सुदृढ़ीकरण	3,00	-	111	प
	तदैव	(7)	प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में निष्पादन कला के प्रोत्साहन की योजना	14,40	_	111	प
	तदैव	(8)	सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा मासिक पत्रिका, वार्षिक कैलेण्डर तथा अन्य विभागीय प्रकाशनों की योजना	4,85	_	112	प
	तदैव	(9)	प्रदेश में स्थापित संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण	_	18,00	112	प
	तदैव	(10)	प्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों में रखी कला-कृतियों के संरक्षण सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा का क्रय	2,28	22	112	प
	तदैव	(11)	कैसरबाग भवन, लखनऊ में सांस्कृतिक पुस्तकालय की स्थापना	_	1,00	113	प
	तदैव	(12)	उ०प्र० राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में सांस्कृतिक कला प्रदर्शनी की स्थापना	_	1,35	113	प
	तदैव	(13)	वीडियो इकाई की स्थापना, फिल्मों का निर्माण तथा प्रमुख संग्रहालयों की परिचय योजना पर वीडियो फिल्म	3,64	5,14	113	प
	तदैव	(14)	क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, इलाहाबाद की स्थापना	2,64	_	114	प
			लेखा शीर्षक 2205 का योग–	35,21	37,48		
92	4202— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	उ०प्र० के मैदानी क्षेत्रों के चार प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	_	10,00	115	प
			लेखा शीर्षक 4202 का योग–	_	10,00		
			अनुदान संख्या 92 का योग–	35,21	47,48		

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
95	2551— पहाड़ी क्षेत्र	(1)	मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण योजनान्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों का रख-रखाव	2,48	_	119 प
	तदैव	(2)	उत्तराखण्ड की झीलों का विकास (जिला योजना)	_	2,00	119 प
	तदैव	(3)	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा, दिनेशपुर, हल्द्वानी, काशीपुर तथा टनकपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोला जाना	3,27	3,84	120 प
	तदैव	(4)	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादून तथा काशीपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोला जाना	60	87	120 प
	तदैव	(5)	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) की खटीमा, नैनीताल में स्थापना	4,06	3,28	121 प
	तदैव	(6)	उत्तराखण्ड में हैण्ड पम्पों की स्थापना	_	2,00,00	122 प
	तदैव	(7)	पौधशालाओं की स्थापना	_	8,00	122 प
		(8)	वन पंचायतों के पदाधिकारियों/वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था	_	6,00	122 प
	तदैव	(9)	सूख रहे जल स्रोतों हेतु वनीकरण	_	16,00	123 प
	तदैव	(10)	उत्तराखण्ड बाईबोल्टीन रेशम विकास परियोजना	10,00	_	123 प
	तदैव	(11)	सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री पर अनुदान	_	5,40	123 प
	तदैव	(12)	उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिवहन विभाग के लिये मशीन–सज्जा की व्यवस्था	_	10,50	124 प
	तदैव	(13)	भारत-चीन व्यापार एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाया जाना	4,70	2,50	124 प
	तदैव	(14)	राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना	4,19	2,04	125 प
	तदैव	(15)	सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा तथा लैंस – डाउन, पौड़ी का संगणीकरण	_	10,00	126 प
	तदैव	(16)	दुग्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	1,30	_	126 प

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
95	2551— पहाड़ी क्षेत्र	(17)	मार्केट इन्टरवेंशन योजनान्तर्गत फलों के क्रय-विक्रय में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति (जिला सेक्टर)	6,00	_	127 प
	तदैव	(18)	टिश्यू कल्चर विकास के अन्तर्गत क्षेत्रीय विस्तार की योजना (जिला सेक्टर)	4,26	_	127 प
		(19)	महिला सहकारी उपभोक्ता समितियों के आर्थिक सुधार हेतु उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	_	1,00	128 प
	तदैव	(20)	मत्स्य विकास केन्द्र की स्थापना	_	1,00	128 प
	तदैव	(21)	उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में 15 शैय्या युक्त चिकित्सालयों की स्थापना	92	1,50	129 प
	तदैव	(22)	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	5,50	1,02	130 प
			लेखा शीर्षक 2551 का योग–	47,28	2,74,95	
	4551— पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	(23)	उत्तराखण्ड के जनपदों में गोदाम निर्माण योजना के लिये भूमि का क्रय	_	20,00	130 प
	तदैव	(24)	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा-टिहरी के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण	_	40,00	131 प
	तदैव	(25)	उत्तराखण्ड क्षेत्र के 8 जनपदों में सड़क तथा पुल के जिला सेक्टर के नये कार्यों के लिये धन की व्यवस्था	3,92,99	_	131 प
	तदैव	(26)	उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिवहन विभाग के लिये भूमि क्रय तथा भवन निर्माण	_	52,00	132 प
	तदैव	(27)	जनपद अल्मोड़ा में लीति एवं गोगिना में आवासीय व्यवस्था हेतु प्रीफेब्रीकेटेड हट्स का निर्माण	15,00	_	132 प
			लेखा शीर्षक 4551 का योग–	4,07,99	1,12,00	
	6551— पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कर्ज	(28)	उत्तराखण्ड क्षेत्र के शुष्क शौचालयों में परिवर्तन हेतु ऋण	_	5,00	132 प
	तदैव	(29)	उत्तराखण्ड क्षेत्र की नगरीय जलोत्सारण योजनाओं हेतु ऋण	_	75,00	133 प

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में)		पृष्ठ संख्या	
			आवर्तक	अनावर्तक		
1	2	3	4	5	6	
95	6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कर्ज	(30) उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी एवं अन्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना हेतु ऋण	–	1,00,00	133	प
		लेखा शीर्षक 6551 का योग–	–	1,80,00		
		अनुदान संख्या 95 का योग–	4,55,27	5,66,95		

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयो में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
7	6885— उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	(1)	औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर आस्थगन की सुविधा के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण	–	60,00,00	139 न
			लेखा शीर्षक 6885 का योग–	–	60,00,00	
			अनुदान सं० 7 का योग–	–	60,00,00	
16	6404— डेरी विकास के लिये कर्ज	(1)	प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण	–	5,00,00	143 न
			लेखा शीर्षक 6404 का योग–	–	5,00,00	
			अनुदान सं० 16 का योग–	–	5,00,00	
26	2055— पुलिस	(1)	जनपद फैजाबाद में यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण	3,25	30	147 न
			लेखा शीर्षक 2055 का योग–	3,25	30	
			अनुदान सं० 26 का योग–	3,25	30	
38	2070— अन्य प्रशासनिक सेवायें	(1)	राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में हैंगर आदि का सुदृढ़ीकरण	–	46,12	151 न
			लेखा शीर्षक 2070 का योग–	–	46,12	
			अनुदान सं० 38 का योग–	–	46,12	
42	2014— न्याय प्रशासन	(1)	जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना	2,96	30	155 न
	तदैव	(2)	जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर में एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना	10	21	156 न
	तदैव	(3)	विधि परामर्शी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के उपयोगार्थ एक स्टाफ कार की व्यवस्था।	–	2,00	156 न
	तदैव	(4)	अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च-न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु व्यवस्था।	–	11,00	156 न
	तदैव	(5)	जनपद वाराणसी में एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना।	5,55	41	157 न
	तदैव	(6)	जिले में असिस्टेन्ट सेशन जज के लिये 2 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिये 35 आवासीय टेलीफोन की सुविधा (एस०-टी०डी० रहित) उपलब्ध कराया जाना।	–	3,70	158 न
			लेखा शीर्षक 2014 का योग–	8,61	17,62	

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
42	2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	(1)	उ०प्र० कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के सदस्य सचिव के शासकीय प्रयोग हेतु स्टाफ कार की व्यवस्था	–	2,00	159 न
			लेखा शीर्षक 2235 का योग–	–	2,00	
			अनुदान सं० 42 का योग–	8,61	19,62	
49	2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	(1)	उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनाथालय/यतीमखानों को अनुदान	13,18	–	163 न
			लेखा शीर्षक 2235 का योग–	13,18	–	
			अनुदान सं० 49 का योग–	13,18	–	
52	2029— भू-राजस्व	(1)	खसरा/खतौनी तथा जमाबन्दी के फार्मों की आपूर्ति	49,86	–	167 न
			लेखा शीर्षक 2029 का योग–	49,86	–	
			अनुदान सं० 52 का योग–	49,86	–	
53	2070— अन्य प्रशासनिक सेवायें	(1)	राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन	5,00	–	171 न
			लेखा शीर्षक 2070 का योग–	5,00	–	
	2202— सामान्य शिक्षा	(1)	उ०प्र० उर्दू अकादमी के लिये अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था	16,49	–	171 न
			लेखा शीर्षक 2202 का योग–	16,49	–	
			अनुदान सं० 53 का योग–	21,49	–	
63	2054— खजाना तथा लेखा प्रशासन	(1)	कोषागार निदेशालय के प्रशासन स्तर के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	7,71	50	175 न
	तदैव	(2)	प्रदेश के 11 कोषागारों में चेक प्रणाली का क्रियान्वयन	–	5,82	175 न
	तदैव	(3)	प्रदेश के 20 कोषागारों में टेलर पद्धति से पेटी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया लागू किया जाना	–	2,60	176 न

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची-(समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	2		3	4	5	6
63 2054—	खजाना तथा लेखा प्रशासन	(4)	प्रदेश के कोषागारों को कैश वाहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	47	5,50	176 न
	तदैव	(5)	प्रदेश के 11 कोषागारों में पेंशनर्स को बैंक के माध्यम से सीधे पेंशन भुगतान की योजना लागू किया जाना	–	11	177 न
			लेखा शीर्षक 2054 का योग–	8,18	14,53	
4059—	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	(1)	प्रदेश के 6 उप कोषागारों में गार्ड रूम एवं डबल लाक का निर्माण	–	19,19	177 न
	तदैव	(2)	प्रदेश के उप कोषागार भवनों का निर्माण	–	70,00	178 न
			लेखा शीर्षक 4059 का योग–	–	89,19	
			अनुदान संख्या 63 का योग–	8,18	1,03,72	
68 2011—	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	(1)	सचिव, विधान सभा के लिये नई कार का क्रय	–	1,98	181 न
			लेखा शीर्षक 2011 का योग–	–	1,98	
			अनुदान संख्या 68 का योग–	–	1,98	

भाग–1

आयोजनागत–नई मदें

उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट शिल्पियों तथा चयनित कारीगरों के अधीन प्रशिक्षण योजना	4,05	...	...	4,05	2851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	3 प
2	जरी जरदोजी शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना	5,00	...	...	5,00	3453–विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	3 प
3	कानपुर (जाजमऊ) में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास के प्रसार केन्द्र की स्थापना	10,00	...	...	10,00	तदैव	4 प
4	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रिवाल्विंग फण्ड हेतु ऋण	...	...	5,00	5,00	6885–उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज	4 प
	योग :	19,05	...	5,00	24,05		

उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट शिल्पियों तथा चयनित कारीगरों के अधीन प्रशिक्षण योजना

प्रदेश में विद्यमान अनेक हस्तशिल्प कलाओं में उत्कृष्टता हासिल करने वाले हस्तशिल्पियों को परम्परागत हस्तशिल्प के विकास से सम्बद्ध करके आर्थिक लाभ पहुँचाने तथा मास्टर क्राफ्टमैन द्वारा नई पीढ़ी के शिल्पकारों को प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप परम्परागत हस्तशिल्प को जीवित रखते हुये उसका विकास करने और नई पीढ़ी के शिल्पकारों को आधुनिक तकनीकी से अवगत कराते हुये उनकी योग्यता एवं कला कौशल में निखार लाने के साथ ही हस्तशिल्प उत्पादन में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत मास्टर क्राफ्टमैन/कारीगर की प्रति माह 750 रुपये मानदेय प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षणार्थियों की 150 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जायेगी। योजना की अवधि 9 माह होगी। वर्ष 1994-95 में 20 केन्द्र संचालित किये जायेंगे तथा प्रत्येक केन्द्र पर प्रशिक्षार्थी की अधिकतम संख्या 10 होगी। शिल्प कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु उन्हीं जनपदों का चयन किया जायेगा जहां मास्टर क्राफ्टमैन उपलब्ध नहीं होंगे। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में नई मांगों के माध्यम से 4,05,000 रुपये का प्राविधान कराया जाना प्रस्तावित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

	(हजार रुपयों में)
2851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत —	
102— लघु उद्योग —	
04— राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट शिल्पियों के अधीन प्रशिक्षण —	
15— छात्र वृत्तियां और छात्र वेतन —	2,70
33— अन्य व्यय	1,35
योग	4,05

जरी जरदोजी शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना

वाराणसी जनपद में जरी शिल्प के विकास की तथा जनपद बरेली में जरदोजी विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। जरी जरदोजी कार्य में लगे शिल्पियों को प्रशिक्षण/कच्चेमाल/डिजाइन/विपणन की सुविधा देकर जरी जरदोजी शिल्प का विकास करने एवं जरी जरदोजी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में वाराणसी एवं बरेली में जरी जरदोजी शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। एक केन्द्र की स्थापना पर कुल 10.00 लाख रु० की लागत आयेगी जिसमें से 7.50 लाख रु० भारत सरकार तथा 2,50,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शिल्प केन्द्रों का संचालन उ० प्र० निर्यात निगम द्वारा किया जायेगा तथा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था भी उ० प्र० निर्यात निगम द्वारा की जायेगी जिसके लिये कोई अनुदान नही दिया जायेगा। योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइंस के अनुसार किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के अंश की व्यवस्था हेतु 5,00,000 रुपये की आवश्यकता वर्ष 1994-95 में है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

	(हजार रुपयों में)
3453— विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन-आयोजनागत —	
194— निर्यात संवर्धन तथा विपणन निकाय हेतु सहायता —	
01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ—	
14— जरी जरदोजी शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना —	5,00
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	
योग	5,00

कानपुर (जाजमऊ) में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास के प्रसार केन्द्र की स्थापना

कानपुर (जाजमऊ) में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सी० एल० आर० आई०) मद्रास के प्रसार केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इससे चर्म शोधन, टैनिंग, रासायनिक विश्लेषण आदि की पर्याप्त सुविधा चर्म कारीगरों को मिल सकेगी। उक्त केन्द्र की स्थापना केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत की जानी प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेश शासन की वचनबद्धता प्रसार केन्द्र के लिये भूमि एवं भवन की है। वित्तीय वर्ष 1994-95 में 10,00,000 रुपये की आवश्यकता प्रसार केन्द्र के भवन निर्माण के सम्बन्ध में है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 10,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजन :

3453—विदेश व्यापार तथा निर्यात संवधर्न—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

194—निर्यात संवर्धन तथा विपणन निकाय को सहायता

00—कानपुर (जाजमऊ) में केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (मद्रास) के प्रसार केन्द्र की स्थापना

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रिवाल्विंग फण्ड हेतु ऋण

हस्तनिर्मित ऊनी कालीन उद्योग की दृष्टि से सुविख्यात भदोही (वाराणसी) परिक्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन/ विकास के उद्देश्य से उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के अन्तर्गत भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। प्राधिकरण भदोही में कुछ आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजना के कार्यान्वयन हेतु आधारिक पूंजी के रूप में शासन द्वारा बीडा को रिवाल्विंग फण्ड में सीड कैपिटल के रूप में ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में भी प्राधिकरण को 5,00,000 रुपये की धनराशि का ऋण स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6885—उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज—आयोजनागत—

01—औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज (हजार रुपयों में)

190—सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

03—भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को रिवाल्विंग फण्ड हेतु ऋण

24—निवेश/ ऋण 5,00

उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० के अन्तर्गत स्थापित वेधन यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु वेधन साज-सज्जा का क्रय	6,00	...	...	6,00	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	7 प
2	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० में स्थित प्रयोगशाला हेतु भू-भौतिकी सर्वेक्षण के लिये मैग्नेटोमीटर का क्रय किया जाना	4,50	...	...	4,50	तदैव	7 प
3	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० स्थित एमीशन स्पेक्ट्रोग्राफिक प्रयोगशाला हेतु उपकरणों का क्रय	6,92	...	...	6,92	तदैव	8 प
	योग :	17,42	...	...	17,42		

उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अन्तर्गत स्थापित वेधन यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु वेधन साज-सज्जा का क्रय

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कार्यरत वेधन इकाइयों के पास उपलब्ध वेधन साज–सज्जा की सहायता से 300 मीटर गहराई तक के नमूने प्राप्त किये जा सकते हैं। वेधन कार्य की क्षमता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से एवं अधिक गहराई तक ड्रिलिंग करने के लिये अधिक ब्यास वाले एच० एक्स० पी० एक्स० वेधन साज–सज्जा क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस साज–सज्जा हेतु 6,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 6,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है परन्तु इसके लिये कोई अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2— व्यय का विभाजन–

(क) साज–सज्जा/ मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे–

क्रम–सं०	मद	रुपये
1	पी०एक्स०एच०एक्स केसिंग	2,30,000
2	एच०डब्लू० ड्रिल राड विद कपलिंग	3,00,000
3	एच०डब्लू०जी०डबल ट्यूब और बैरल असम्बली	50,000
4	उपरोक्त हेतु स्पेयर पार्ट्स	20,000
	योग	6,00,000

3—आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

2853— अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–आयोजनागत–

02— खानों का विनियमन तथा विकास– (हजार रुपयों में)

004— अनुसंधान तथा विकास–

02— खनिज अन्वेषण–

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 6,00

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में स्थित प्रयोगशाला हेतु भू-भौतिकी सर्वेक्षण हेतु मैग्नेटोमीटर का क्रय

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय हेतु भू-भौतिकी सर्वेक्षण के लिये मैग्नेटोमीटर का क्रय किया जाना नितान्त आवश्यक है। मैग्नेटो मीटर से धरातल के नीचे चट्टानों तथा चुम्बकीय/धात्विक खनिजों के आंकड़े प्राप्त किये जायेंगे। इस उपकरण के क्रय किये जाने में 4,50,000 रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 4,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2— साज-सज्जा आदि के स्थूल ब्योरे–

क्रम-सं०	मद	(हजार रुपयों में)
1	सहयोगी उपकरणों सहित वर्टिकल तथा टोटल फील्ड ग्रेडिएन्ट मैग्नेटोमीटर	4,50

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2853— अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–आयोजनागत–

02— खानों का विनियमन तथा विकास– (हजार रुपयों में)

004— अनुसंधान तथा विकास–

02— खनिज अन्वेषण–

20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 4,50

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में स्थित एमीशन स्पेक्ट्रोग्राफिक प्रयोगशाला हेतु कतिपय उपकरणों का क्रय

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में स्थापित एमीशन स्पेक्ट्रोग्राफिक प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रोग्राफी विश्लेषण को तीव्र करने तथा विश्लेषण कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु कतिपय उपकरणों का क्रय किया जाना नितान्त आवश्यक है । प्रश्नगत उपकरणों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त जैरेल ऐश स्पेक्ट्रोग्राफ में किया जाना है जिसके माध्यम से 50 तत्वों का विश्लेषण एक साथ किया जा सकेगा । इन उपकरणों के क्रय हेतु 6,92,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 6,92,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2—व्यय का विभाजन–

(क) साज-सज्जा/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे–

क्रम-सं०	मद	रुपये
1	एमीशन स्पेक्ट्रोग्राफी प्रयोगशाला हेतु उपकरण	6,92,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2853— अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग–आयोजनागत–

02— खानों का विनियमन तथा विकास– (हजार रुपयों में)

004— अनुसंधान तथा विकास–

02— खनिज अन्वेषण–

20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र– 6,92

उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रुग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन हेतु ऋण	...	...	50,00	50,00	6851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये उधार	11 प
2	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना	...	...	4,70,00	4,70,00	तदैव	11 प
3	जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना	...	...	40,00	40,00	तदैव	12 प
	योग :	...	...	5,60,00	5,60,00		

उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासन हेतु ऋण

राज्य सरकार द्वारा रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन के उद्देश्य से राज्य मार्जिन मनी ऋण योजना का कार्यान्वयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत रुग्ण इकाइयों की अपने वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये मार्जिन मनी ऋण की सुविधा प्राप्त है। योजना के अंतर्गत एक इकाई की अधिकतम 5,00,000 रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। प्रदेश में एक अथवा अनेक कारणों से लघु स्तरीय क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता बढ़ती जा रही है जैसे सावधि ऋण का भुगतान इकाइयों की न करना, आवश्यकतानुसार कार्यशील पूंजी बैंक द्वारा सुलभ न किया जाना, विद्युत कनेक्शन देने में विलम्ब किया जाना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, उद्यमियों में प्राविधिक ज्ञान का अभाव, अनुभव की कमी एवं कुप्रबन्ध आदि कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनका नियंत्रण उद्यमियों के वश के बाहर है जैसे शासकीय नीति में परिवर्तन इस प्रकार से आवश्यक हो गया है कि रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु कार्यक्रम तैयार किये जाये ताकि इन इकाइयों में पूर्व में नियोजित पूंजी को उत्पादक बनाया जा सके। अतएव योजना की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 50,00,000 रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 1994-95 में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन–

6851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये उधार–आयोजनागत–	
102— लघु उद्योग	(हजार रुपयों में)
03— बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु ऋण	
24— निवेश/ऋण	40,00
02— अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान	
0202— बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु ऋण	
24—निवेश/ऋण	10,00
योग	50,00

एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना

प्रदेश में एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण ऐसे उद्यमियों की नवीन लघुत्तर एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु दिया जाता है जिनकी योजना किसी वित्तीय संस्था से अनुमोदित हो तथा वह वित्तीय संस्था उन्हें योजना की लागत का निर्धारित प्रतिशत ऋण देने को तैयार हो। मार्जिन मनी ऋण उन उद्यमियों की दिया जायेगा, जो उद्योग स्थापित करने के लिये परियोजना की लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अपनी ओर से लगायेंगे। यह सीमा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 5 प्रतिशत होगी।

ऐसी वर्तमान औद्योगिक इकाइयां भी जिन्होंने उ०प्र० वित्तीय निगम अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से औद्योगिक कार्य क्षमता में वृद्धि/अभिनवीकरण हेतु ऋण लिया हो, ऋण के उस भाग पर जो उन्होंने उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि/अभिनवीकरण हेतु लिया हो, मार्जिन मनी ऋण पाने की अधिकारी होगी बशर्ते कि वे विस्तार के पश्चात् लघु औद्योगिक इकाई की परिभाषा का उल्लंघन न करें। उक्त पात्र इकाइयां एक स्वामित्व वाली, साझेदारी, निजी सार्वजनिक कम्पनी के रूप में हो सकती हैं।

योजनान्तर्गत मार्जिन मनी ऋण परियोजना की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिये यह सीमा 15 प्रतिशत तक होगी। योजनान्तर्गत अधिकतम धनराशि 3,00,000 रुपये तक स्वीकृत की जा सकेगी। योजना के लिये वर्ष 1994-95 में 4,70,00,000 रुपये की आवश्यकता होगी।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय व्ययक में 4,70,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये कर्ज–आयोजनागत–

102— लघु उद्योग	(हजार रुपयों में)
02— अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान	
0201— एकीकृत सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण (जिला योजना)	
24—निवेश/ऋण	95,00
04— एकीकृत सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण	
24—निवेश/ऋण (जिला योजना)	3,75,00
योग	4,70,00

जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना

इस योजनान्तर्गत रु० 2.00 लाख तक प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उद्योग की लागत का 20 प्रतिशत अथवा 40,000 रुपये जो भी कम हो अनुमन्य होगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को कुल लागत का 30 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये जो भी कम हो, मार्जिन मनी ऋण के रूप में प्राप्त होगा । यह सुविधा एक लाख तक आबादी वाले नगरीय क्षेत्र के उद्यमियों को (वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर) अनुमन्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस योजना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है । जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण हेतु 40,00,000 रुपये जिसमें स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लिए 9,00,000 रुपये भी सम्मिलित है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 40,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6851— ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये उधार-आयोजनागत

200— अन्य ग्राम्य उद्योग	(हजार रुपयों में)
01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	
0101— जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना) (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	
24—निवेश/ऋण	31,00
0102— अनुसूचित जातियों के स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	
24—निवेश/ऋण	9,00
योग	40,00

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हथकरघा बुनकरों के लिये सामूहिक बीमा योजना	20,00	...	...	20,00	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	15 प
	योग :	20,00	...	...	20,00		

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

हथकरघा बुनकरों के लिये सामूहिक बीमा योजना

शासन द्वारा बुनकरों के लिये आरम्भ की गयी कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है । इसके लिये शासन ने वर्ष 1989-90 में 1,00,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । वर्ष 1989-90 में इस योजना के अंतर्गत 1,000 बुनकरों की शामिल करके योजना का लाभ पहुंचाया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 से यह योजना पुनरीक्षित कर दी गयी । वर्तमान में पुनरीक्षित योजनान्तर्गत बीमा की धनराशि 10,000 रुपये तथा वार्षिक प्रीमियम 120 रुपये है जिसमें 40 रुपये राज्य सरकार, 40 रुपये केन्द्र सरकार एवं 40 रुपये बीमित व्यक्ति का अंशदान है । वर्ष 1994-95 में इस योजना पर कुल 20,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है । यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2—आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा–शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत –	(हजार रुपयों में)
60— अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
110— अन्य बीमा योजनायें –	
03— केन्द्रीय आयोजनागत–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें –	
0101— हथकरघा बुनकरों के लिये सामूहिक बीमा योजना –	
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता (50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)	18,00
0102— अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट	
हथकरघा बुनकरों के लिये सामूहिक बीमा योजना	2,00
14— सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता (50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)	
योग	20,00

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें —आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	**इलेक्ट्रानिक्स–**						
1	उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की परियोजनाओं में सहभागिता हेतु अंशपूंजी	...	50,00	...	50,00	4859--दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	19 प
2	उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम को इलेक्ट्रानिक्स सिटी की स्थापना हेतु अंशपूंजी	...	75,00	...	75,00	तदैव	19 प
3	उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं नये उत्पादों हेतु अंशपूंजी	...	1,30,00	...	1,30,00	तदैव	20 प
4	उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की सहायक कम्पनी अपट्रान इंडिया लि० के कार्यकलापों को सशक्त करने हेतु अंशपूंजी	...	2,00,00	...	2,00,00	तदैव	20 प
(ख)	**अन्य–**						
5	प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) को व्यवसाय हेतु ऋण	...	...	5,10,00	5,10,00	6885–उद्योग तथा खनिजों के लिये अन्य कर्ज	21 प
6	ग्रेटर नोएडा की स्थापना हेतु ऋण सहायता	...	...	5,00,00	5,00,00	तदैव	21 प
7	उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ऋण	...	...	4,30,00	4,30,00	तदैव	21 प
8	प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) को ब्याज रहित बिक्रीकर ऋण योजनान्तर्गत ऋण	...	...	50,00	50,00	तदैव	22 प
9	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को ऋण सहायता	...	...	2,30,00	2,30,00	तदैव	22 प
	योग :	...	4,55,00	17,20,00	21,75,00		

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम की संयुक्त/सहायतित क्षेत्र की परियोजनाओं में सहभागिता हेतु अंशपूंजी

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम को दी गई प्रमोशनल भूमिका के उद्देश्य को पूरा करने हेतु निगम द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से परियोजनाओं को स्थापित करने के बजाय संयुक्त/सहायतित क्षेत्र में इकाईयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस हेतु निगम साफ्टवेयर निर्यात मोल्डेड प्लास्टिक कम्पोनेन्ट्स आदि के निर्माण हेतु परियोजनाओं की स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं के सम्पर्क में है। इस परियोजना की स्थापना से राज्य में पूंजी निवेश में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन तथा अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने में भी सहायता मिलेगी। राजकीय राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। संयुक्त क्षेत्र में निगम की सहभागिता 26 प्रतिशत तथा सहायतित क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत तक सीमित है। इस प्रकार संयुक्त/सहायतित क्षेत्र की परियाजनाओं में निवेशित की जाने वाली कुल अंशपूँजी 50,00,000 रु० प्रस्तावित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में ऐसी परियोजनाओं हेतु 50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

4859— दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत

02— इलेक्ट्रानिक	
190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
03— इलेक्ट्रानिक्स निगम के अंशकों का क्रय"	
24—निवेश/ऋण	50,00

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम को इलेक्ट्रानिक्स सिटी की स्थापना हेतु अंश पूंजी

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के क्षेत्र में पूंजी विनियोजन को आकृष्ट करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य द्वारा उपयुक्त अवस्थापना सुविधायें प्रदान की जायें। देश के अनेक राज्यों द्वारा अपने प्रदेशों में इलेक्ट्रानिक्स सिटी/टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में नोयडा में इलेक्ट्रानिक्स सिटी की स्थापना करके उसमें विश्व-स्तरीय सुविधायें प्रदान करके इलेक्ट्रानिक्स के उच्च तकनीकी क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स सिटी की स्थापना से प्रदेश में उच्च तकनीकी युक्त इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा इस क्षेत्र में पूंजी विनियोजन में वृद्धि होगी। इससे नवीन रोजगार के अवसर सृजित होंगे और शासकीय राजस्व में भी वृद्धि होगी। इलेक्ट्रानिक्स सिटी में प्रस्तावित विभिन्न सुविधाओं में से कतिपय सुविधाओं हेतु वर्ष 1994-95 में 75,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इस हेतु 75,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

4859— दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत—

(हजार रुपयों में)

02— इलेक्ट्रानिक	
190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
03— इलेक्ट्रानिक्स निगम के अंशकों का क्रय	
24—निवेश/ऋण	75,00

उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम की प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं नये उत्पादों हेतु अंशपूंजी

इलेक्ट्रानिक्स एक तीव्र परिवर्तनशील उद्योग होने के कारण बाजार में अपना स्थान बनाये रखने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा नये उत्पादों का विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूरा करने के लिये उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम के कई इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों जैसे शेयर्ड रेडियो सिस्टम 4/36 तथा 8/72 मोनोक्रोम मानीटर, कलर मानीटर, सरल आटोमेटिक एक्सचेन्ज 128 पोर्ट, 10 चैनेल यू.एच.एफ रेडियो आदि के विकास का कार्य आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त निगम की निर्माण क्षमता के उन्नयन की भी आवश्यकता है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रोद्योगिकी उन्नयन एवं नये उत्पादों के विकास के परिणामस्वरूप निगम की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होगी और नई तकनीक का ज्ञानार्जन होगा। राजकीय राजस्व में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ उ०प्र० में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का स्थान और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में वांछित विनियोजन से प्रथम वर्ष में व्यवसाय में कम से कम 5 करोड़ रुपये तथा अगले 3-4 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रु० की वृद्धि होगी। इस प्रकार उन्नयन शोध एवं विकास तथा इन उत्पादों के निर्माण हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में वर्ष 1994-95 में 1,30,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,30,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4859— दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत–

(हजार रुपयों में)

02— इलेक्ट्रानिक	
190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
03— इलेक्ट्रानिक्स निगम के अंशकों का क्रय	
24—निवेश/ऋण	1,30,00

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम की सहायक कम्पनी अपट्रान इण्डिया लि० के विद्यमान कार्यकलापों को सशक्त करने हेतु अंशपूंजी

अपट्रान इण्डिया लि० एक रुग्ण इकाई बन चुकी थी। शासन की सहायता से इसकी स्थिति में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विगत दो वर्षों में इसकी विक्रय धनराशि रुपये 70 करोड़ से बढ़कर रुपये 88 करोड़ हो गई है। कम्पनी को सुचारु रूप से परिचालनरत रहने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि इसकी विक्रय धनराशि में बढ़ोत्तरी हो जिससे संसाधन उत्पन्न हो सके और विक्रय धनराशि में बढ़ोत्तरी से बी०आई०एफ०आर०/वित्तीय संस्थाओं को संतुष्ट किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कम्पनी को अपने परिचालन की सशक्त करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। बी०आई०एफ०आर० द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन के पूर्व वित्तीय संस्थाओं से किसी भी प्रकार का सहयोग सम्भव नहीं है। अपट्रान इण्डिया लि० को चलाने एवं परिचालनों को सशक्त बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,00,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इस हेतु 2,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4859— दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत–

(हजार रुपयों में)

02— इलेक्ट्रानिक	
190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
03— इलेक्ट्रानिक्स निगम के अंशकों का क्रय	
24—निवेश/ऋण	2,00,00

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) को व्यवसाय हेतु ऋण

प्रदेश में औद्योगीकरण के विकास तथा वृहत् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं की आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित पिकप को अपने कार्य के संचालन हेतु शासन द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। वर्ष 1994-95 में पिकप को 5,10,00,000 रुपये की धनराशि ऋण रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,10,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। ऋण की स्वीकृति पूर्व निर्धारित शर्तो पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी। योजना के आयोजना अवधि में चलते रहने की पूरी संभावना है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6885— उद्योग तथा खनिजों के लिए अन्य कर्ज–आयोजनागत–

01— औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज– (हजार रुपयों में)

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–

04— प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के व्यवसाय हेतु कर्ज–

24— निवेश / ऋण 5,10,00

ग्रेटर नोएडा की स्थापना हेतु ऋण सहायता

उ० प्र० के जनपद गाजियाबाद व जनपद बुलन्दशहर में नोएडा की वर्तमान सीमा तथा उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू०पी०एस०आई०डी०सी०) के औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर एवं कासना से लगे नोएडा–दादरी रोड पर अनियंत्रित विकास को कम करने तथा भारत सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन फरवरी, 1989 में नेशनल कैपिटल रीजन के विषय में जारी शिथिलता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु ग्रेटर नोएडा की स्थापना की गयी है। ग्रेटर नोएडा की स्थापना के लिए नोएडा के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1994-95 में भी 5,00,00,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना के निकट भविष्य में चलते रहने की पूरी संभावना है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6885— उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज–आयोजनागत – (हजार रुपयों में)

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज—

07— ग्रेटर नोएडा की स्थापना हेतु ऋण–

24— निवेश/ऋण– 5,00,00

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ऋण

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमी वहां पर अच्छी अवस्थापना सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं और अवस्थापना सुविधाओं से युक्त औद्योगिक क्षेत्रों की ओर उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित होते हैं। अतः उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 1994-95 में 4,30,00,000 रुपये की धनराशि ऋण रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 4,30,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। इस आयोजना अवधि में इस योजना के आगे भी चलते रहने की पूरी संभावना है। ऋण की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6885— उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज–आयोजनागत–

01— अन्य–

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज– (हजार रुपयों में)

11— उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कर्ज–

24— निवेश / ऋण 4,30,00

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) को ब्याज रहित बिक्रीकर ऋण योजनान्तर्गत ऋण

प्रदेश में औद्योगीकरण के विकास तथा वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से पिकप द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु शासन की सेल्स टैक्स ऋण योजना का संचालन शासन के अभिकर्ता के रूप में किया जाता है। वर्ष 1994-95 में पिकप को योजनान्तर्गत 50,00,000 रुपये की धनराशि ऋण रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 50,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। ऋण की स्वीकृति पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6885— उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्जे—आयोजनागत—

01— औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्जे— (हजार रुपयों में)

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्जे—

03— प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को सेल्स टैक्स ऋण योजना के अन्तर्गत कर्जे—

24— निवेश / ऋण 50,00

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण सहायता

पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 6/1976) के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके औद्योगिक क्षेत्र की व्यवस्था हेतु प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास करेंगे। वित्तीय वर्ष 1994-95 में इस प्राधिकरण के लिए 2,30,00,000 रु० उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,30,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

6885— उद्योग और खनिज पर अन्य कर्जे—आयोजनागत

60— अन्य

190— सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को कर्जे —

10— गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को ऋण—

24— निवेश/ऋण 2,30,00

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सत्य आलू बीज प्रौद्योगिकी का विकास	3,40	...	...	3,40	2401-फसल कृषि कर्म	25 प
2	फूलों की व्यवसायिक खेती की योजना	21,80	...	...	21,80	तदैव	25 प
3	मशरूम की खेती का विकास	31,50	...	...	31,50	तदैव	27 प
4	वर्तमान आलू बीज संवर्धन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	31,50	...	...	31,50	तदैव	28 प
5	पान विकास की योजना	1,93	...	...	1,93	तदैव	29 प
6	पैकेजिंग वस्तुओं तथा विधियों के विकास कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण की योजना	3,45	...	...	3,45	तदैव	29 प
7	प्रारम्भिक औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान	12,00	...	...	12,00	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	31 प
8	ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में ग्रीन हाउस का निर्माण	...	60,00	...	60,00	4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	31 प
9	औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर छात्रावासों का निर्माण।	...	18,00	...	18,00	तदैव	31प
	योग :	1,05,58	78,00	...	1,83,58		

कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

सत्य आलू बीज प्रौद्योगिकी का विकास

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित सत्य आलू बीज तथा आलू व कन्द के प्रदर्शन एवं मिनिकिट्स वितरण की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित जनपदों में सत्य आलू बीज प्रौद्योगिकी को विकसित करने के उद्देश्य से एक बायोसेन्टर की स्थापना तथा विकास खंड, तहसील स्तर पर आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 800 प्रदर्शन व 5100 मिनिकिट्स वितरण का कार्यक्रम है । इस योजना के क्रियान्वयन पर आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा 26,27,000 रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है । जिसे पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में व्यय किया जाना है। वर्ष 1994-95 में इस योजना पर 3,40,000 रुपये का व्यय होगा । योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1994-95 के आय व्ययक में 3,40,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2401—	**फसल कृषि कर्म-आयोजनागत –**	(हजार रुपयों में)
119—	बागवानी तथा वनस्पति फसलें–	
01—	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	
0107—	सत्य आलू बीज तथा आलू व कन्द के प्रदर्शन एवं मिनि किट्स वितरण की योजना	
	14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,40

भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	प्रतिशत
अनुदान	3,40	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान– 03-केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान– 800-अन्य अनुदान– 10-औद्यानिक विकास बागवानी तथा वनस्पति फसलें	शत प्रतिशत

फूलों की व्यवसायिक खेती की योजना

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पुष्पों की उन्नतिशील प्रजातियों को पुष्प उत्पादकों को सुलभ कराने, उनके रोपण सामग्री का उत्पादन, तथा पुष्प उत्पादकों एवं फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में राजकीय अलंकृत उद्यान अलीगंज, लखनऊ में एक माडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर योजनाकाल में कुल 43.39 लाख रुपये व्यय होगा । इस योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में एक माडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर कम टिशूकल्चर भी स्थापित किया जायेगा जिस पर कुल 4.00 करोड़ रुपया व्यय होगा तथा लाभार्थी को 25.00 लाख रुपये सहायता के रूप में दिया जायेगा । निजी क्षेत्र में भी छोटे आकार का टिशूकल्चर स्थापित किया जायेगा इसकी स्थापना के लिए लाभार्थी को 1.00 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी । इसके लिए बेरोजगार कृषि/उद्यान स्नातकों को वरीयता दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत फूलों की खेती का क्षेत्र विस्तार हेतु योजना काल में कुल 15 लाख रुपये व्यय करके 150 हेक्टयर क्षेत्र में फूलों की खेती कराने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम में फूलों की खेती करने वाले कृषकों को 1/10 हेक्टयर में फूलों की खेती करने पर रोपड़ सामग्री तथा कृषि रक्षा रसायनों सिंचाई तथा संस्तुत विधियों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 हजार रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित कार्यक्रम पर आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में कुल 84,39 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 21,80,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । धनराशि की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—व्यय के अनुमान :-

(क)— कुल परिव्यय (1994-97)	57,48 हजार रुपये
(ख)— अन्तिम आवर्तक व्यय	50,46 हजार रुपये

3—व्यय का विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

	1994-95	1995-96	1996-97	योग
(क) कार्यालय व्यय				
टाइपराइटर का क्रय-1	10	...	...	10
टेलीफोन पर व्यय	5	10	10	25
मोटर गाड़ी का क्रय	333	...	...	3,33
(ख) मशीन साज-सज्जा				
प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला हेतु मशीनरी तथा टूल इम्पलीमेन्ट एवं जिराक्स मशीन	139	20	20	1,79
(ग) भूमि, भवन आदि के व्योरे				
अलीगंज उद्यान पर मिस्ट चेम्बर, पिकलिंग चेम्बर, बस्टर बल्ब वाटर टैंक सहित ग्लास हाउस, आदि का निर्माण	155	...	...	1,55

4—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2401— फसल कृषि कर्म-आयोजनागत –

108— वाणिज्यिक फसलें :

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–

0101— फूलों की व्यवसायिक खेती की योजना–

02— मजदूरी	67
06— कार्यालय व्यय	55
07— टेलीफोन पर व्यय	5
08— कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	3,33
09— मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	89
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,00
15— छात्र वृत्तियां और छात्र वेतन	89
18— वृहत् निर्माण कार्य	1,55
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,39
25— सामग्री और सम्पूर्ति	1,48
33— अन्य व्यय	1,00
योग :	21,80

भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	प्रतिशत
अनुदान	21,80	1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान– 03–केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान– 800–अन्य अनुदान– 10–औद्यानिक विकास : वाणिज्यिक फसलें	शतप्रतिशत

मशरूम की खेती का विकास

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित मशरूम की खेती के विकास की योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में लखनऊ में एक कम्पोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट तथा एक स्पान निर्माण प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार द्वारा कम्पोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट की स्थापना हेतु 20 लाख रुपये तथा स्पान निर्माण प्रयोगशाला के निर्माण हेतु 8.50 लाख रुपये तथा 340 किसानों/ट्रेनर्स को भी मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित किया जाना है जिसके लिए 1.70 लाख रुपये का व्यय किया जाना है। इस प्रकार योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के शेष वर्षों में योजना क्रियान्वयन हेतु 67.70 लाख रुपये व्यय होंगे। वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में प्रस्तावित कार्यक्रम के निमित्त 31,50,000 रुपये की आवश्यकता होगी।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 31,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय के अनुमान :-

	(हजार रुपयों में)
(क)— कुल परिव्यय	37,50
(ख)— अन्तिम आवर्तक व्यय	17,00

3—व्यय का विभाजन

(क) मशीन साज सज्जा	
तेल चालित ब्वायलर, आयल टैंक, टैनेल्स कम्पोस्ट टर्नर ब्लोयर आटोक्लेब, इन्क्यवेटर्स, रेफ्रिजरेटर लेमिनार, आंवल ट्रालीस बोतल, क्लीन मशीन आदि	15,50
(ख) भवन निर्माण	
भवन प्रयोगशाला, कम्पोटिशशेड, एवं भूसा पुआल हेतु भण्डार शेड का निर्माण आदि	5,00
योग ...	20,50

4—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2401— फसल कृषि कर्म-आयोजनागत

119— बागवानी तथा वनस्पति फसलें :

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

0108— मशरूम की खेती हेतु विकास की योजना–	(हजार रुपयों में)
02— मजदूरी	1,00
04— यात्रा व्यय	50
06— कार्यालय व्यय	1,00
15— छात्र वृत्तियां और छात्र वेतन	3,00
18— वृहत् निर्माण कार्य	5,00
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15,50
25— सामग्री और सम्पूर्ति	5,00
33— अन्य व्यय	50
योग ...	31,50

भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	प्रतिशत
अनुदान	31,50	1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान– 03–केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान– 800–अन्य अनुदान– 10–औद्यानिक विकास : बागवानी तथा वनस्पति फसलें	शतप्रतिशत

वर्तमान आलू बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

वर्तमान में प्रदेश में 22 आलू बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं । इन प्रक्षेत्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रक्षेत्रों पर जहां जुताई हेतु ट्रैक्टर, आलू की खुदाई हेतु डिगर तथा आलू की बुवाई व मेड़ बनाने हेतु कुछ आधुनिक उपकरण जैसे प्लान्टर, रिजर के साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में उपरोक्त सभी प्रेक्षेत्रों पर उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने पर लगभग 91,50,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से वर्ष 1994-95 में 31,50,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

तद्नुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई है ।

2—व्यय के अनुमान

(क) कुल परिव्यय	91,50 हजार रु०
(ख) अन्तिम आवर्तक	18,50 हजार रु०

3—व्यय का विभाजन— (हजार रुपयों में)

मद	1994-95	1995-96	1996-97	योग
मजदूरी	2,00	2,00	2,00	6,00
वृहद निर्माण कार्य (नलकूप नाली का निर्माण तथा आलू सुखाने का शेड)	12,00	10,00	10,00	32,00
मशीन साज-सज्जा (जुताई हेतु ट्रैक्टर, खुदाई हेतु डिगर, बुवाई हेतु प्लान्टर आदि)	11,00	15,00	15,00	41,00
सामग्री और सम्पूर्ति	5,00	2,00	2,00	9,00
अन्य व्यय	1,50	1,00	1,00	3,50
योग	31,50	30,00	30,00	91,50

4—आय—व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

(हजार रुपयों में)

2401—फसल कृषि कार्य-आयोजनागत—

108— वाणिज्यिक फसलें—

09—वर्तमान आलू बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण—

02—मजदूरी	2,00
18—वृहत् निर्माण कार्य	12,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	11,00
25—सामग्री और सम्पूर्ति	5,00
33—अन्य व्यय	1,50
योग	31,50

पान विकास की योजना

पान की खेती को मुख्य रूप से प्रमुख संहत क्षेत्रों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत पान की खेती करने वाले कृषकों को कन्जरवेटरी/ट्रेलिस के निर्माण पर (200 वर्ग मीटर) लागत मूल्य का 50 प्रतिशत प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना में प्रोत्साहन देने हेतु रोपण सामग्री, पौध रक्षा रसायन पर 500 रुपये तथा सिंचाई सुविधा व पौध रक्षा यंत्र क्रय करने में भी सहायता देने का प्रस्ताव है।

इस योजना के क्रियान्वयन पर आठवीं पंचवर्षीय योजना काल के शेष वर्षों में 7,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 में इस हेतु 1,93,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,93,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय के अनुमान

(क) कुल आवेषित परिव्यय— रु०

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 7,00,000

3—आय-व्यय में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2401— फसल कृषि कार्य-आयोजनागत—

108— वाणिज्यिक फसलें—

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (हजार रुपयों में)

0102— पान की खेती के विकास हेतु कृषकों को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,93

भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	प्रतिशत
अनुदान	1,93	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान— 03—केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान— 800—अन्य अनुदान— 10—औद्यानिक विकास : 1004—वाणिज्यिक फसलें	शत प्रतिशत

पैकेजिंग वस्तुओं तथा विधियों के विकास कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण

इस योजनान्तर्गत स्थापित राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान के पैकेजिंग अनुभाग में पदों का सृजन कार्यों की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ इस अनुभाग में प्रयोगशाला सुविधा तथा पैकेजिंग मशीन, साज-सज्जा उपलब्ध नहीं है।

पैकेजिंग अनुभाग को सुदृढ़ीकृत किये जाने पर पैकेजिंग वस्तुओं की टेस्टिंग तथा उनसे सस्ते एवं आकर्षक पैकेजिंग की रूपरेखा दी जा सकेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में योजना के क्रियान्वयन पर कुल 6,35,000 रुपये (आवर्तक 4,35,000 रुपये तथा अनावर्तक 2,00,000 रुपये) व्यय होने का अनुमान है जिनमें से वर्ष 1994-95 में 3,45,000 रुपये (आवर्तक 1,45,000 रुपये तथा अनावर्तक 2,00,000 रुपये) व्यय होंगे।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,45,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय के अनुमान

(क) कुल परिव्यय (वर्ष 1992-97) 6,35,000 रुपये

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 1,45,000 रुपये

3—व्यय का विभाजन –

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद संख्या
1-	पैकेजिंग टेक्नोलाजिस्ट	रु० 3000–4500	1

(ख) मशीन–सज्जाओं का विवरण

क्रमांक	नाम	संख्या	अनुमानित मूल्य (हजार रुपयों में)
1	मोटरचालित माइक्रोमीटर	1	0.30
2	डायल माइक्रोमीटर	2	0.02
3	काब टेस्ट आपरेटर्स	1	0.02
4	पेपर कटर	2	0.01
5	एनातिटिकल वेलेन्स	2	0.25
6	ब्रस्टिंग स्ट्रेन्थ टेस्टर	1	0.05
7	बीच पन्चर टेस्टर	1	0.15
8	टियरिंग टेस्टर	1	0.25
9	टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्टर	1	0.30
10	टरपेन्टाइन टेस्टर	1	0.01
11	हाइक्रोमीटर	2	0.05
12	स्टाफवाच	2	0.01
13	हीट सीलिंग मशीन	1	0.25
14	हयूमडी फायर	1	0.22
15	ओवन	2	0.15
		योग	2.04

	1994-95	1995-96	1996-97	योग
प्रयोगशाला उपकरण एवं संयंत्र आदि	2,00	——	——	2,00
योग	2,00	——	——	2,00

4–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः–

2401— फसल कृषि कर्म-आयोजनागत –

109— विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण –

09— खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना (हजार रुकपपयों में)

01— वेतन	40
02— मजदूरी	8
03— महंगाई भत्ता	37
04— यात्रा व्यय	7
05— अन्य भत्ते	7
06— कार्यालय व्यय	20
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,00
25— सामग्री और सम्पूर्ति	18
33— अन्य व्यय	8
योग	3,45

प्रारम्भिक औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान

प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन संतोषजनक होने के बावजूद भी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है । औद्यानिक उत्पादकों को उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रदान करने के ध्येय से प्रदेश के कम से कम ऐसे 10 प्रतिशत राजस्व गाँव में जिनकी सीमायें लगी हो, प्राथमिक स्तर की औद्यानिक उत्पादन सहकारी समितियां गठित कराई जा रही हैं । यह समितियाँ सदस्य कृषकों को औद्यानिक उत्पादन यथा फल–फूल, शाक–भाजी आदि के समुचित एवं लाभकारी विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी । आठवीं पंचवर्षीय योजनकाल के वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक प्रति वर्ष 100 पंजीकृत सहकारी समितियों की स्थापना का प्रस्ताव है । इस प्रकार स्थापित समितियों की प्रबन्धकीय संरचना को प्रबल आधार प्रदान करने के ध्येय से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष क्रमशः 1,000 रु०, 750 रुपये तथा 500 रुपये मासिक की दर से प्रबन्धकीय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है । इस प्रकार उक्त अनुदान पर वर्ष 1996-97 तक 60,00,000 रुपये तथा वर्ष 1994-95 में 12,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2435— अन्य कृषि कार्यक्रम–आयोजनागत –	(हजार रुपयों में)
01— विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण	
800— अन्य व्यय–	
01— औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान–	
14–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता	12,00

ऊतक सम्वर्धन प्रयोगशाला में ग्रीन हाउस का निर्माण

अलीगंज, लखनऊ में स्थापित ऊतक सम्वर्धन प्रयोगशाला पर शोभाकार पौधों पर अन्य पौधों का उत्पादन एवं संरक्षण/संग्रह करने हेतु ग्रीन हाउस के निर्माण हेतु 60,00,000 रुपये की धनराशि की आवश्यकता है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 60,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

4401— फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
119— बागवानी तथा वनस्पति की फसलें–	
03— नर्सरी–	
1301— ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना	
18—वृहद निर्माण कार्य	60,00

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर छात्रावासों का निर्माण

प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की योजनान्तर्गत औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर होस्टल भवनों के निर्माण हेतु कुल 18,00,000 रुपये की धनराशि की आवश्यकता है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 18,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

4401— फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	(हजार रुपयों में)
800— अन्य व्यय–	
09— प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	
18—वृहत् निर्माण कार्य	18,00

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चम्बल तथा यमुना नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना	1,00,00	...	...	1,00,00	2402–मृदा तथा जल संरक्षण	35 प
2	उ० प्र० में क्षारीय भूमि सुधार की योजना	2,00,00	...	...	2,00,00	तदैव	35 प
	योग :	3,00,00	...	...	3,00,00		

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

चम्बल तथा यमुना नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना

यह योजना आठवीं योजना काल में ई० ई० सी० सहायता से वर्ष 1994-97 में जनपद आगरा, इटावा एवं फिरोजाबाद जिलों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें बीहड़ सुधार हेतु 4 हजार हे० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्ष 1994-95 में 1,00,00,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरांत दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2402— मृदा तथा जल संरक्षण–आयोजनागत -

	(हजार रुपयों में)
102— मृदा संरक्षण –	
09— चम्बल तथा यमुना नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना (ई०ई०सी० द्वारा पोषित)	
14–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता	1,00,00

उ० प्र० में क्षारीय भूमि सुधार की योजना

यह योजना आठवीं योजना काल में ई० ई० सी० की सहायता से वर्ष 1994-97 में प्रदेश के 3 जनपदों में क्षारीय भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में क्षारीय भूमि सुधार हेतु परीक्षण के आधार पर उन्नाव जनपद में लागू की जानी प्रस्तावित है। जिसे उ० प्र० भूमि सुधार निगम के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 1075 हे० क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य है। उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्ष 1994-95 में 2,00,00,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है जिसकी आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरांत दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2402— मृदा तथा जल संरक्षण–आयोजनागत -

	(हजार रुपयों में)
102— मृदा संरक्षण -	
102— मृदा संरक्षण —	
10—उ० प्र० में क्षारीय भूमि सुधार की योजना (ई० ई० सी० द्वारा पोषित) –	
01— वेतन	5,56
02— मजदूरी	–
03— महंगाई भत्ता	4,00
04— यात्रा व्यय	50
05— अन्य भत्ते	25
06— कार्यालय व्यय	1,00
07— टेलीफोन पर व्यय	10
08— कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	2,50
09— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10
11— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	25
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,82,64
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,00
32— अंतरिम सहायता	10
33— अन्य व्यय	1,00
योग ...	2,00,00

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-8272
05-10-94

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के प्रतिभाशाली पहलवानों को कुश्ती का प्रशिक्षण	3,50,00	...	...	3,50,00	2204 – खेलकूद तथा युवा सेवायें	39 प
	योग	3,50,00	...	...	3,50,00		

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

प्रदेश के प्रतिभाशाली पहलवानों को कुश्ती का प्रशिक्षण

राज्य के प्रतिभाशाली पहलवानों के प्रशिक्षण के लिये राज्य में सारी सुविधाओं से सम्पन्न व्यायामशालाओं की स्थापना की जानी प्रस्तावित है जिसमें पहलवानों की प्रशिक्षित किया जायेगा। इस हेतु प्रदेश के 486 विकास खण्डों तथा 30 जनपदों में अखाड़ों की स्थापना की जायेगी जिसमें पहलवानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात् राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित करायी जायेगी जिस पर होने वाला व्यय निम्नवत् अनुमानित है :-

1—जिला स्तर पर व्यय	3,28,00,000 रुपये
2—प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यय	22,00,000 रुपये
योग	3,50,00,000 रुपये

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,50,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकवार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

2204— खेल-कूद तथा युवा सेवायें--

800— अन्य व्यय

01— प्रदेश के प्रतिभाशाली पहलवानों को कुश्ती का प्रशिक्षण—

33—अन्य व्यय 3,50,00

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुग्ध संघों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था।	...	60,99	...	60,99	4404–डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	43 प
	योग :	...	60,99	...	60,99		

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

दुग्ध संघों में प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था

योजना के अन्तर्गत प्रदेश की दुग्धशाला एवं चिलिंग प्लान्टों में प्रदूषण नियन्त्रण के संयंत्रों की स्थापना किये जाने हेतु वर्ष 1994-95 में 60,99,000 रु० का व्यय अनुमानित है ।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 60,99,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

''4404— डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत

102— डेरी विकास परियोजनायें

06— दुग्धशालाओं/अवशीतन केन्द्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपाय के अन्तर्गत अंशपूजी विनियोजन''

24—निवेश/ऋण	60,99

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहकारी एवं कारपोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को राज्य सरकार की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अनुदान	5,00	...	...	5,00	2425—सहकारिता	47 प
2	सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की पुनर्स्थापना	...	50,00	50,00	1,00,00	4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 6425—सहकारिता के लिये कर्ज	47 प
	योग :	5,00	50,00	50,00	1,05,00		

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारी एवं कार्पोरेट प्रबन्ध शोध एवं संस्थान को राज्य सरकार की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अनुदान

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सहकारी एवं कार्पोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को राज्य सरकार की वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अनुदान दिया जाता है। संस्थान का गठन राज्य सरकार एवं सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 1978 में किया गया था। संस्थान के व्यय वहन हेतु राज्य सरकार एवं संस्थाओं द्वारा इसकी सदस्यता स्वीकार कर प्रति वर्ष शुल्क वहन किया जाता है। इस हेतु 5,00,000 रुपये प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क का भुगतान संस्थान को किया जाता रहा है। संस्थान में ट्रेनिंग के बढ़ते हुए कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 10,00,000 रुपये की आवश्यकता है। अतः सहकारी एवं कार्पोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित कर लिया गया है।

2 आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

(हजार रुपयों में)

2425— सहकारिता-आयोजनागत

003— प्रशिक्षण –

05— सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता — 5,00

सहकारी उपभोक्ता भंडारों की पुनर्स्थापना

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडारों का गठन केन्द्र पोषित योजना के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था इनका उद्देश्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की नगरीय जनता को उचित मूल्य पर सुलभ कराने का था। यह योजना 1.4.92 से राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी है। इस योजना के लिये वर्ष 1994-95 में 7 केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के पुनर्गठन हेतु 1,00,00,000 रुपये की आवश्यकता है जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि अंशपूजी के रूप में और 50 प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप में दी जानी प्रस्तावित है।

तद्नुसार अंशपूंजी/ऋण हेतु वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-

(हजार रुपयों में)

4425— सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत

108— अन्य सहकारी समितियों में निवेश—

08— सहकारी उपभोक्ता भंडारों की पुनर्स्थापना हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत अंशपूंजी

24— निवेश/ऋण — 50,00

6425— सहकारिता के लिये कर्ज-आयोजनागत

108— अन्य सहकारी समितियों को कर्ज—

01— सहकारी उपभोक्ता भंडारों की पुर्नस्थापना हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत ऋण

24— निवेश/ऋण — 50,00

योग — 1,00,00

खेल विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों की दैनिक आहार दरों का संशोधन	12,40	...	...	12,40	2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें	51 प
2	स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ एवं गोरखपुर के छात्रों की दैनिक आहार दरों का संशोधन	16,38	...	...	16.38	तदैव	51 प
	योग :	28,78	...	...	28,78		

खेल विभाग

क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों की दैनिक आहार दरों का संशोधन

खेल निदेशालय की योजना "क्रीड़ा छात्रावास" के अन्तर्गत प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष चयन के द्वारा प्रदेश में स्थित विभिन्न छात्रावासों में प्रशिक्षण हेतु रखा जाता है तथा उन्हें वैज्ञानिक ढंग से खेल विशेष में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। क्रीड़ा छात्रावास के बालकों को निःशुल्क भोजन, शिक्षा, आवास, किट, चिकित्सा, आदि सुविधाओं के साथ-साथ कुशल प्रशिक्षकों द्वारा वर्ष भर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में यह अनुभव किया जा रहा है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण जो भोजन सामग्री खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। अतः प्रस्तावित है कि निर्धारित 25 रुपये प्रति दिन प्रति बालक की दर से जो भोजन सामग्री दी जा रही है उसमें बढ़ोत्तरी की जाय। अतः यह आवश्यक है कि 25 रुपये प्रतिदिन प्रति बालक को दर से जो दरें वर्तमान में देय हैं उन्हें बढ़ाया जाये और उसे 35 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप इन छात्रावासों के 370 बालकों पर 335 दिन के लिए 10 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त व्यय की दर से 12,40,000 रुपये का अतिरिक्त आवर्तक व्ययभार निहित है।

तद्नुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 12,40,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—नई योजनाओं के व्यय का अनुमान:-

(क)	कुल परिव्यय (1994-97)	37,20,000 रुपये
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	12,40,000 रुपये

3— 1994-95 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2204— खेलकूद तथा युवा सेवायें—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

104— खेलकूद—

06— क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय

33-अन्य व्यय 12,40

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ एवं गोरखपुर के छात्रों की दैनिक आहार दरों का संशोधन

उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटी के माध्यम से लखनऊ तथा गोरखपुर में (आवासीय) स्पोर्ट्स कालेजेज वर्ष 1975 एवं 1991 से संचालित है। इन स्पोर्ट्स कालेजों में बालकों को सम्पूर्ण सुविधायें जैसे भोजन, आवास, किट, खेल की सामग्री, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा इत्यादि निःशुल्क दी जाती है। प्रदेश के इन स्पोर्ट्स कालेजों द्वारा विगत वर्षों में अपने खिलाड़ियों के माध्यम से कई उपलब्धियां प्राप्त की जा चुकी हैं। इन खिलाड़ियों को वर्तमान में खेल निदेशालय के अन्तर्गत चला रहे आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के अनुरूप 25 रुपये प्रति बालक प्रतिदिन की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण इन खिलाड़ियों को अब पर्याप्त एवं सन्तुलित भोजन दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि भोजन की दरों में बढ़ोत्तरी की जाय। अतः 25 रुपये की वर्तमान दर को 35 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किये जाने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल 16,38,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय भार निहित है :-

क्रम-सं०	कालेज का नाम	बालकों की संख्या	दिनों की सं०	अतिरिक्त धनराशि (रुपये में)
1	स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ	280	335	9,38,000
2	स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर	209	335	7,00,150
			योग-	16,38,150

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 में स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ एवं गोरखपुर के बालकों पर बढ़ी हुई दरों से भोजन व्यय करने में कुल 16,38,000 रुपये का अतिरिक्त आवर्तक व्ययभार निहित है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 16,38,000 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गई है ।

2— व्यय का अनुमान :-

(क) कुल परिव्यय	49,14,000 रुपये
(ख) अंतिम आवर्तक व्यय	16,38,000 रुपये

3—1994-95 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2204— खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनागत-

104— खेलकूद

22— स्पोर्ट्स कालेजों को अनुदान

2201— स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर की अनुदान-	(हजार रुपयों में)
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	7,00
2202— स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ को अनुदान-	
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	9,38
योग-	16,38

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उ० प्र० राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रम	...	6,30,00	...	6,30,00	4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	55 प
2	सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन	...	8,31,00	...	8,31,00	तदैव	55प
	योग :	...	14,61,00	...	14,61,00		

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

उ०प्र० राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एणं क्षमता विस्तार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की खड्डा तथा रोहानांकला की क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव हैं। इन कार्यक्रमों पर वर्ष 1994-95 में 6,30,00,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 6,30,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृतियां विस्तृत परीक्षण के उपरान्त जारी की जायेंगी।

2—व्यय का विवरण :

क्रम-सं०	मिल का नाम	प्रयोजन	(हजार रुपयों में)
1	खड्डा	विस्तारीकरण	1,50,00
2	रोहानांकला	,,	4,80,00
		योग–	6,30,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4860— उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–

04— चीनी

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों मे निवेश– (हजार रुपयों में)

03—उ० प्र० राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय—

24— निवेश/ऋण 6,30,00

सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार तथा नई चीनी मिलों की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की निम्नलिखित चीनी मिलों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। इन कार्यों पर वर्ष 1994-95 में कुल 8,31,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 8,31,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृतियां विस्तृत परीक्षण के उपरान्त जारी की जायेंगी।

2—व्यय का विवरण :

क्रम-सं०	मिल का नाम	प्रयोजन	(हजार रुपयों में)
1	नानपारा	विस्तारीकरण	50,00
2	तिलहर	,,	1,00,00
3	पूरनपुर	विस्तारीकरण	50,00
4	पुवांया	,,	1,00,00
5	जेवर	नई मिल	3,06,00
6	धुरियापार	,,	2,25,00
		योग–	8,31,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन–

4860— उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–

04— चीनी

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–

04—सहकारी शक्कर मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन—— (हजार रुपयों में)

24— निवेश/ऋण 8,31,00

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	के० जी० मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान	60,00	...	...	60,00	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	59 प
2	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ में डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु उपकरणों का क्रय	8,00	...	...	8,00	तदैव	59 प
3	मेडिकल कालेज, आगरा में स्थापित गामा कैमरा को सुचारु रूप से चलाने हेतु पदों का सृजन	72	...	...	72	तदैव	60 प
4	प्रदेश के आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी तथा गोरखपुर मेडिकल कालेजों में इनसिनिरेटर की स्थापना	12,00	...	...	12,00	तदैव	60 प
	योग :	80,72	...	...	80,72		

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान)

के०जी० मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान

के० जी० मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1994-95 में 50,00,000 रुपये आवर्तक मद में तथा 10,00,000 रुपये अनावर्तक मद में व्यय होने का अनुमान है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 60,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-

05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान — (हजार रुपयों में)

105— पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

03— शिक्षा-

0357— किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ के अनुरक्षण के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को अनुदान -

14-सहायक अनुदान / अशंदान / राज सहायता 60,00

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ में डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु उपकरणों का क्रय

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ में डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु उपकरण एवं साज-सज्जा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसके लिये वर्ष 1994-95 में 8,00,000 रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत - (हजार रुपयों में)

05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -

105— पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति -

03— शिक्षा-

0360— मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ में डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 8,00

मेडिकल कालेज, आगरा में स्थापित गामा कैमरा को सुचारु रूप से चलाने हेतु पदों का सृजन

मेडिकल कालेज, आगरा के मेडिसिन विभाग में गामा कैमरा की स्थापना हो चुकी है और इसको सुचारु रूप से चलाने हेतु स्टाफ की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु वर्ष 1994-95 में 72,000 रुपये का व्यय अनुमानित है अतः इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त ही दी जायेगी।

2— व्यय का विभाजन :-

क्रम-संख्या	मद	पदों की संख्या	वेतनमान रु०
1	लैब टेक्नीशियन	1	1320-2040
2	फार्मेसिस्ट	1	1350-2200
3	कम्प्यूटर आपरेटर	1	1400-2300

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत—

05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान— (हजार रुपयों में)

105— पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति—

03— शिक्षा—

0300— मेडिकल कालेज, आगरा में स्थापित गामा कैमरा को चालू करने हेतु पदों का सृजन—

01— वेतन	12
03— महंगाई भत्ता	11
05— अन्य भत्ते	3
06— कार्यालय व्यय	14
32— अन्तरिम सहायता	4
33— अन्य व्यय	28
योग	72

प्रदेश के आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर मेडिकल कालेजों में इनसिनिरेटर की स्थापना

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रांगण को स्वच्छ रखने हेतु इनसिनिरेटर की आवश्यकता है। इसके लिए वर्ष 1994-95 में 12,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। अतः इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—आयोजनागत—

05— चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान— (हजार रुपयों में)

105— पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति—

03— शिक्षा—

0300— राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, झाँसी, गोरखपुर में इनसिनिरेटर की स्थापना—

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 12,00

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों की व्यवस्था	13,00	...	...	13,00	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	63 प
2	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कम्प्यूटर सेल की स्थापना	1,90	...	...	1,90	तदैव	63 प
3	महिला अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	2,17	...	...	2,17	तदैव	64 प
4	प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	12,75	...	...	12,75	तदैव	65 प
5	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लीगल सेल की स्थापना	1,89	...	...	1,89	तदैव	65 प
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1,46,96	...	...	1,46,96	तदैव	66 प
7	डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं सुधार	91,92	...	...	91,92	तदैव	67 प
8	प्रदेश के चिकित्सालयों/औषधालयों हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	5,00	...	...	5,00	तदैव	69 प
9	प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण, नवीनीकरण एवं सुधार/विस्तार (जि०यो०)	...	22,00	...	22,00	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	70 प
10	उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण	...	20,00	...	20,00	तदैव	70 प
	योग :	2,75,59	42,00	...	3,17,59		

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

प्रदेश के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों की व्यवस्था

प्रदेश के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों की कमी होने के कारण रोगियों के रोग की आवश्यक जाँच नहीं हो पाती है जिससे उनके रोग का निदान करने में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः वर्ष 1994-95 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्जिकल उपकरणों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1994-95 में कुल 13,00,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 13,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –आयोजनागत – (हजार रुपयों में)

01— शहरी स्वास्थ्य सेवायें –पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति –

110— अस्पताल तथा औषधालय –

29— जिला एवं अन्य संबंधित कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)

20–मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र 13,00

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कम्प्यूटर सेल की स्थापना

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ प्रदेश भर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों और विभाग के अन्य महत्वपूर्ण मामलों को शीघ्र निपटाये जाने हेतु तथा निरन्तर बढ़ते हुए कार्य को सूचीबद्ध तथा सुसंगठित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक कम्प्यूटर तथा इसके संचालन हेतु एक प्रोग्रामर के पद को सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1994-95 में कुल 1,90,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 1,90,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन –

अपेक्षित कर्मचारी वर्ग

क्रमांक	पदनाम	वेतनक्रम रु०	पदों की संख्या
1	प्रोग्रामर	2200-4000	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत–

01— शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–

001— निदेशन एवं प्रशासन–

01— निदेशन– (हजार रुपयों में)

01— वेतन	13
03— महंगाई भत्ता	12
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,65
योग	1,90

महिला अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

महिला अस्पताल, लखनऊ में 19 शैय्याओं का वार्ड निर्मित हो चुका है। नवनिर्मित वार्ड को चालू करने हेतु पदों के सृजन पर कुल 2,17,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार 1994-95 के आय-व्ययक में 2,17,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—-व्यय का विभाजन :-

अपेक्षित कर्मचारी वर्ग-

क्रम-सं०	पदनाम	वेतनमान(रुपये)	पदों की संख्या
1	सिस्टर	1640-2900	1
2	स्टाफ नर्स	1400-2600	2
3	वार्ड आया	750-940	2
4	स्वीपर	750-940	2
5	चौकीदार	750-940	1
6	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	1
		योग:	9

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत- (हजार रुपयों में)

01— शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

110— अस्पताल तथा औषधालय-

00— महिला अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

01— वेतन	70
03—महंगाई भत्ता	68
04— यात्रा व्यय	1
05— अन्य भत्ते	5
06— कार्यालय व्यय	–
32— अन्तरिम सहायता	5
33— अन्य व्यय(औषधि तथा वार्ड सामग्री एवं विद्युत व्यय)	68
योग:	2,17

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

वर्ष 1994-95 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है जिस पर 9,00,000 रुपये का आवर्तक एवं 3,75,000 रुपये अनावर्तक व्यय अनुमानित है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 की आय-व्ययक में 12,75,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत–

03— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति – (हजार रुपयों में)

110— अस्पताल तथा औषधालय –

00— नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना –

01–वेतन	3,72
03–महंगाई भत्ता	3,72
04–यात्रा व्यय	36
05–अन्य भत्ते	37
06–कार्यालय व्यय	15
11–किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	5
20–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,75
25–सामग्री और सम्पूर्ति	63
योग	12,75

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लीगल सेल की स्थापना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा संबंधी विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके प्रभावी अनुश्रवण/ पैरवी करने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्तर पर एक लीगल सेल की स्थापनार्थ एक वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि अधिकारी एवं विधि सहायक के पदों के सृजन किये जाने हेतु प्राविधान कराये जाने का प्रस्ताव है। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 1994-95 में कुल 1,89,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसमें से आवर्तक मद में 1,74,000 रुपये तथा अनावर्तक मद में 15,000 रु० का व्यय निहित है। अतएव वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,89,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जाएगी।

2—व्यय का विभाजन–

अपेक्षित कर्मचारी वर्ग–

क्रमांक	पदनाम	वेतन–क्रम	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ विधि अधिकारी	3000-4500	1
2	विधि अधिकारी	2200-4000	1
3	विधि सहायक	1640-2900	2
		योग	4

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –आयोजनागत	(हजार रुपयों में)–
01— शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति –	
001— निदेशन एवं प्रशासन –	
01— निदेशन –	
01— वेतन	84
03— महंगाई भत्ता	81
05— अन्य भत्ते	5
06— कार्यालय व्यय	1
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15
32— अन्तरिम सहायता	3
योग:	1,89

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय योजना आयोग के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है । लक्ष्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1994-95 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर कुल 1,46,96,000 रुपये का व्यय अनुमानित है ।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 1,46,96,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई । योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –आयोजनागत –	(हजार रुपयों में)
01— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति –	
110— अस्पताल तथा औषधालय –	
12— सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना)–	
01— निदेशन एवं प्रशासन –	
01— वेतन	11,08
03— महंगाई भत्ता	11,08
04— यात्रा व्यय	60
05— अन्य भत्ते	2,18
20— मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1,20,00
33— अन्य व्यय	2,02
योग:	1,46,96

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल; लखनऊ का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं सुधार

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल, लखनऊ, पार्क रोड स्थित भवन के प्रांगण में आधुनिक सर्जिकल एवं इमरजेन्सी काम्पलैक्स का भवन वर्ष 1993-94 के अन्त तक बन कर तैयार होने वाला है । इस भवन में हृदय रोग विभाग, रक्तकोष, प्राइवेट वार्ड, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वाहृय आकस्मिक सेवाएं, आकस्मिक आपरेशन थियेटर, पैथालाजी, एक्सरे विभाग एवं मुख्य तथा माइनर आपरेशन थियेटर आदि को कार्यशील किया जाना है । इसके संचालन हेतु पदों के सृजन पर आवर्तक मद में 29,97,000 रु० तथा अनावर्तक मद में 61,95,000 रु० का व्यय अनुमानित है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 91,92,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है । योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरांत दी जायेगी ।

2— व्यय का विभाजन :-

क्रम-सं०		अपेक्षित कर्मचारी वर्ग	वेतनमान (रु०)	पद संख्या
1		चिकित्सा अधिकारी		
	(क)	कार्डियालोजिस्ट (आई० सी० सी० यूनिट)	2200-4000	3
	(ख)	पैथालोजिस्ट (ब्लड बैंक)	तदैव	3
	(ग)	सीनियर पैथालोजिस्ट (ब्लड बैंक)	3000-4500	1
	(घ)	रेजीडेन्टल ब्लड बैंक अधिकारी	2200-4000	3
	(ङ)	ई० एम० ओ० वाहृय आकस्मिक सेवा	तदैव	1
	(च)	पैथालोजिस्ट (आकस्मिक पैथालोजी इकाई)	तदैव	3
2		ई० सी० जी० टैक्नीशियन (आई० सी०सी० यूनिट)	975-1600	3
3		सिस्टर (8 प्राइवेट वार्ड हेतु)	1640-2900	1
4		स्टाफ नर्स (8 पद आई० सी०सी० यूनिट, 2 पद प्राइवेट वार्ड, 3 पद आकस्मिक ओ० टी०,पद टी० यू० आर०, 3 पद सिटी स्केन	1400-2600	17
5		लैब टेक्नीशियन (6 पद रक्तकोष, 3 पद आकस्मिक पैथालोजी)	1320-2040	9
6		एक्सरे टेक्नीशियन (2 पद आकस्मिक एक्सरे विभाग, 3 पद सिटी स्केन)	1350-2200	5
7		फार्मेसिस्ट (3 पद वाहृय सेवा)	1350-2200	3
8		डार्करूम सहायक (2 पद आकस्मिक एक्सरे, 2 पद सी० डी० स्केन)	950-1500	4
9		रिसेप्शनिस्ट (रक्तकोष)	तदैव	1
10		वरिष्ठ सहायक (रक्तकोष)	1350-2200	1
11		कनिष्ठ लिपिक (1 पद रक्तकोष, 1 पद कार्यालय, 1 पद सिटी स्केन प्र० अ०)	950-1500	3
12		स्टीबर्ट (प्रमुख अधीक्षक कार्यालय)	975-1660	1
13		आशुलिपिक (तदैव)	1400-2300	1
14		कार्यालय अधीक्षक (तदैव)	1400-2600	1
15		रिकार्ड कीपर (1 पद तदैव,1 पद सी० टी० स्केन)	950-1500	2
16		रजिस्ट्रेशन क्लर्क (रजिस्ट्रेशन काउंटर 2 पद)	तदैव	2
17		वार्ड ब्वाय (2 पद आई सी० सी० यूनिट) 1 पद प्राइवेट वार्ड 1 पद रजिस्ट्रेशन काउंटर		

क्रम–सं०	अपेक्षित कर्मचारी वर्ग	वेतनमान (रु०)	पद संख्या
	4 पद वाह्य आकस्मिक ओ० टी०		
	4 पद प्राइवेट वार्ड ओ० टी०		
	2 पद आकस्मिक पैथालोजी		
	1 पद आकस्मिक एक्सरे		
	1 पद टी० यू० आर०		
	2 पद सिटी स्केन	750-940	18
18	आया		
	1 पद आई० सी० सी० यूनिट		
	1 पद आकस्मिक एक्सरे,		
	2 पद सिटी स्केन	750-940	4
19	सफाई कर्मचारी		
	3 पद आई सी० सी० यूनिट		
	2 पद रक्तकोष		
	1 पद प्राइवेट वार्ड		
	4 पद वाह्य आकस्मिक ओ० टी०		
	3 पद आकस्मिक पैथालोजी		
	2 पद आकस्मिक एक्सरे		
	1 पद टी० यू० आर०		
	3 पद सिटी स्केन	750-940	23
20	लैब अटेन्डेन्ट (2 पद आकस्मिक पैथालोजी 6 पद रक्तकोष)	750-940	8
21	चपरासी (प्रमुख चिकित्सा कार्यालय 3 पद)	750-940	3
22	वाहन चालक (एम्बुलेंस)	950-1500	5
		कुल योग	129

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत –

01— शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति – (हजार रुपयों में)

110— अस्पताल तथा औषधालय–

23— डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं सुधार

01— वेतन	10,45
03— महंगाई भत्ता	10,14
04— यात्रा व्यय	25
05— अन्य भत्ते	1,95
06— कार्यालय व्यय	75
20— मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	61,95
25— सामग्री और सम्पूर्ति (औषधि)	45
32— अन्तरिम सहायता	78
33— अन्य व्यय	5,20
योग	91,92

प्रदेश के चिकित्सालयों/औषधालयों हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों/औषधालयों में निर्धारित मानक के अनुसार पद उपलब्ध नहीं हैं। पदों की कमी से चिकित्सा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने में समय-समय पर कठिनाई महसूस की जाती है। वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रदेश के 3 जनपदों में मानक के अनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है। उक्त जनपदों में पदों के सृजन पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 5,00,000 रुपये की धनराशि का व्यय अनुमानित है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारी-वर्ग—

क्रम-सं०	पदनाम	वेतनमान (रु०)	बाराबंकी	मैनपुरी	सुल्तानपुर	योग
1	सिस्टर	1640-2900	1	4	3	8
2	स्टाफ नर्स	1400-2600	3	1	...	4
3	वार्ड व्वाय	750-940	6	...	...	6
4	स्वीपर	750-940	7	5	...	12
5	लैब अटेन्डेन्ट	750-940	...	1	...	1
6	अर्दली/चपरासी	750-940	...	7	...	7
7	डार्क रूम सहायक	950-1500	...	1	...	1
8	रजिस्टर-कम-रिकार्ड कीपर	950-1500	...	2	1	3
		योग :	17	21	4	42

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

(हजार रुपयों में)

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—आयोजनागत—

01— शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति—

110— अस्पताल तथा औषधालय—

28— चिकित्सालयों/औषधालयों में मानक के अनुसार अतिरिक्त पदों का सृजन—

01— वेतन	2,20
03— महंगाई भत्ता	2,00
04— यात्रा व्यय	60
05— अन्य भत्ते	20
योग	5,00

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण, नवीनीकरण एवं सुधार/विस्तार

(जिला योजना)

वर्ष 1994-95 में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उनके भवनों में सुधार, विस्तार तथा जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण आदि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। योजना पर कुल 22,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तदनुसार 1994-95 के आय-व्ययक में 22,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत—

01— शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

110— अस्पताल तथा औषधालय— (हजार रुपयों में)

10— शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालयों के लिये जल सम्पूर्ति एवं विद्युत व्यवस्था का नवीनीकरण एवं सुधार आदि की व्यवस्था—

33— अन्य व्यय— 22,00

उपकेन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पुराने उपकेन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य राजकीय चिकित्सालयों में समुचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उनके भवनों में सुधार, विस्तार, जल सम्पूर्ति और विद्युतीकरण कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य राजकीय चिकित्सालयों पर जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण और नवीनीकरण हेतु 20,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

4210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय —आयोजनागत—

02— ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –

103— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -

04— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपकेन्द्र में जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण –

33–अन्य व्यय 20,00

न्याय विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद कानपुर तथा गाजियाबाद में न्यायालय भवनों का निर्माण	...	2,00,00	...	2,00,00	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	73 प
	योग :	...	2,00,00	...	2,00,00		

न्याय विभाग

जनपद कानपुर तथा गाजियाबाद में न्यायालय भवनों का निर्माण

जनपद कानपुर तथा गाजियाबाद के निर्माणाधीन सिविल कोर्ट के न्यायालय हेतु रुपया एक-एक करोड़ अर्थात् कुल दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,00,00,000 रुपये की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

	(हजार रुपयों में)
4059— लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-	
01— कार्यालय भवन-	
051— निर्माण-	
04— जनपद कानपुर में न्यायालय भवन का निर्माण	1,00,00
18—वृहत् निर्माण कार्य	
05— जनपद गाजियाबाद में न्यायालय भवन का निर्माण	
18—वृहत् निर्माण कार्य	1,00,00
योग	2,00,00

पर्यटन विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जापानी सहायता से दोहरीघाट एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण	...	1,83,72	...	1,83,72	5452--पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	77 प
2	उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आवासीय इकाइयों का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण	...	3,04	...	3,04	तदैव	77 प
3	संकिसा (फर्रुखाबाद) में मार्गीय सुविधा का निर्माण	...	25,45	...	25,45	तदैव	78 प
4	श्रावस्ती (बहराइच) में मार्गीय सुविधा का निर्माण	...	25,45	...	25,45	तदैव	78 प
5	कुशीनगर (देवरिया) में मार्गीय सुविधा का निर्माण	...	25,45	...	25,45	तदैव	78 प
	योग :	...	2,63,11	...	2,63,11		

पर्यटन विभाग

जापानी सहायता से दोहरीघाट एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण

उत्तर प्रदेश में ओ०ई०सी०एफ० जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ परियोजना संचालित है। उक्त योजना के अन्तर्गत बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास की योजना स्वीकृत है। वाराणसी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर प्रमुख नगर हैं जिनसे होकर लाखों की संख्या में बौद्ध पर्यटक/यात्री सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, पिपंरहवा, कौशाम्बी, संकिसा आदि स्थानों पर जाते हैं। उक्त तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर वाराणसी से 78 कि०मी० की दूरी पर स्थित गाजीपुर एवं गाजीपुर से 75 कि०मी० पर स्थित दोहरीघाट में मार्गीय सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव है ताकि लम्बी दूरी के पर्यटकों को बीच में विश्राम का अवसर सुलभ हो सके। उक्त योजनायें जापानी सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। मार्गीय सुविधा गाजीपुर के लिये 1,00,80,000 रुपये एवं मार्गीय सुविधा दोहरीघाट के लिये 1,01,50,000 रुपये का आगणन ओ०ई०सी०एफ० द्वारा स्वीकृत है। उक्त दोनों मार्गीय सुविधाओं पर 2,02,30,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसमें से 18,58,000 रुपये पूर्व में स्वीकृत हो चुका है। अतः अवशेष 1,83,72,000 रुपये की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-

80— सामान्य-

104— संवर्धन तथा प्रचार-

37— जापानी सहायता (वाह्य सहायता) से कार्यान्वित की जाने वाली बौद्ध परिपथ परियोजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर एवं जनपद मऊ, दोहरीघाट में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण (ओ० ई० सी० एफ० जापान द्वारा पोषित)

18— वृहत् निर्माण कार्य — 1,83,72

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आवासीय इकाइयों का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण

उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित 21 आवासीय इकाइयों के जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिये 65,40,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये 20,45,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। पुनः वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रश्नगत कार्य के लिये 22,16,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार इस कार्य के लिये अब तक कुल 42.61 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 22,79,000 रुपये स्वीकृत किया जाना शेष है।

2—जिन इकाइयों का उच्चीकरण अब किये जाने का प्रस्ताव है उसमें से जगदीशपुर, कछला, सारनाथ, मुजफ्फरनगर, ताजखेड़ा, मथुरा तथा गोकुल की कुल सात परियोजनायें घाटे में चलने के कारण उनके निजीकरण का प्रस्ताव है। अतः अब केवल बरेली, चित्रकूट, महोबा, रायबरेली व शाहजहांपुर की इकाइयों के लिये ही व्यवस्था की जानी शेष है। उक्त परियोजनाओं पर 3,04,000 रुपये का व्यय भार निहित है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है।

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-

80— सामान्य-

104— संवर्धन एवं प्रचार-

190— सार्वजनिक तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश-

03— उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम में पूंजी विनियोजन-

24— निवेश/ऋण — 3,04

संकिसा (फर्रुखाबाद) में मार्गीय सुविधा का निर्माण

संकिसा बौद्ध परिपथ का प्रमुख स्थल है। यह फर्रुखाबाद से 30 कि०मी० की दूरी पर है। यहां बौद्ध कालीन पुरातात्विक वस्तुएं हैं। यहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी/विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं। पर्यटकों की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु यहां पर एक मार्गीय सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना पर कुल 25,45,000 रुपये व्यय होगा। राज्य सरकार का दायित्व भूमि उपलब्ध कराने, भूमि के विकास तथा विद्युतीकरण आदि तक ही सीमित होगा। प्रश्नगत मार्गीय सुविधा पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 25,45,000 रु० व्यय किया जाना है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत (हजार रुपयों में)

80— सामान्य

104— संवर्धन तथा प्रचार

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

0100— संकिसा (फर्रुखाबाद) में मार्गीय सुविधा का निर्माण

18—वृहत् निर्माण कार्य 25,45

श्रावस्ती (बहराइच) में मार्गीय सुविधा का निर्माण

श्रावस्ती, बहराइच जनपद में बलरामपुर से 17 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। यह कौशल देश की राजधानी थीं और भगवान बुद्ध ने यहां पर वर्षा ऋतु व्यतीत की थी। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को यहीं पर मिला था। यहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु यहां पर एक मार्गीय सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना पर कुल 25,45,000 रुपये व्यय होगा। राज्य सरकार का दायित्व भूमि उपलब्ध कराने, भूमि के विकास तथा विद्युतीकरण आदि तक ही सीमित होगा। प्रश्नगत मार्गीय सुविधा पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 25,45,000 रु० व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत (हजार रुपयों में)

80— सामान्य

104— संवर्धन तथा प्रचार

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

0100— श्रावस्ती (बहराइच) में मार्गीय सुविधा का निर्माण

18—वृहत् निर्माण कार्य 25,45

कुशीनगर (देवरिया) में मार्गीय सुविधा का निर्माण

कुशीनगर, देवरिया जनपद में गोरखपुर से 55 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध की एक लेटी हुई प्रतिमा एवं बौद्ध स्तूप यहां पर है। दक्षिण पूर्व एशिया से लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। पर्यटकों को पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु यहां पर एक मार्गीय सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना पर कुल 25,45,000 रुपये का व्यय होगा। राज्य सरकार का दायित्व भूमि उपलब्ध कराने, भूमि के विकास तथा विद्युतीकरण आदि तक ही सीमित होगा। प्रश्नगत मार्गीय सुविधा पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 25,45,000 रुपये व्यय किया जाना है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

5452— पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत (हजार रुपयों में)

80— सामान्य

104— संवर्धन तथा प्रचार

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

0100— कुशीनगर (देवरिया) में मार्गीय सुविधा का निर्माण

18—वृहत् निर्माण कार्य 25,45

प्राविधिक शिक्षा विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मेरठ के अपने निजी भवन निर्माण हेतु भूमि का क्रय	...	20,00	...	20,00	4202–शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	81 प
2	राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर एवं बिजनौर के निजी भवनों हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान	...	38,00	...	38,00	तदैव	81 प
	योग :	...	58,00	...	58,00		

प्राविधिक शिक्षा विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मेरठ के अपने निजी भवन निर्माण हेतु भूमि का क्रय

क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मेरठ का अपना निजी भवन न होने के कारण अभी तक संस्था किराए के भवन में चल रही है। संस्था के अपने निजी भवनों के निर्माण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण से 2,000 वर्ग मीटर भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर प्रश्नगत क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों का निर्माण विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पांडव नगर आवासीय योजना में प्रश्नगत भूखण्ड आवंटित किया गया है। इस निमित्त 20,00,000 रु० की आवश्यकता है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 20,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4202— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत—

	(हजार रुपयों में)
02— तकनीकी शिक्षा—	
104— **बहुशिल्प**—	
00— क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मेरठ के लिए भूमि का क्रय— 18–वृहत् निर्माण कार्य	20,00

राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर एवं बिजनौर के निजी भवनों हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान

राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर एवं राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर के लिए अपने निजी भवनों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु क्रमशः 12,00,000 रुपये एवं 26,00,000 रुपये कुल 38,00,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 38,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

4202— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत—

	(हजार रुपयों में)
02— तकनीकी शिक्षा—	
104— **बहुशिल्प**—	
00— राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर के भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु—	
18–वृहत् निर्माण कार्य	26,00
00— राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर के भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु—	
18–वृहत् निर्माण कार्य	12,00
योग ...	38,00

लोक निर्माण विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर पुलों एवं राज्य मार्गों का निर्माण	...	18,86,33	...	18,86,33	5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	85 प
2	प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर पुलों एवं जिला मार्गों का निर्माण	...	15,71,96	...	15,71,96	तदैव	85 प
	योग	...	34,58,29	...	34,58,29		

लोक निर्माण विभाग

प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर पुलों एवं राज्य मार्गों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर पड़ने वाली नदियों पर पुल न होने के कारण उक्त मार्गों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है तथा कतिपय महत्वपूर्ण जिला मार्गों को राज्य मार्गों में परिवर्तित करना तथा विद्यमान राज्य मार्गों की चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की भी आवश्यकता है । अतः जनता की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए वर्ष 1994-95 में राज्य सेक्टर से सड़कों एवं पुलों के लिए 18,86,33,000 रु० (अधिष्ठान रहित) के नये कार्य प्रस्तावित हैं ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्यय में 18,86,33,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। योजनाओं की विस्तृत स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

5054— सड़कों और सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत - (हजार रुपयों में)

337— सड़क कार्य-पुलों का निर्माण (राज्य सेक्टर)

1— सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	39,30
2— प्लांट एवं मशीनरी	78,59
3— वृहत् सेतुओं का निर्माण	4,71,59
4— राज्य मार्गों पर फ्लाई ओवर एवं उप मार्ग	66,81
5— पान्टून सेतु	1,01,39
6— राज्य मार्गो का पुनः निर्माण	5,81,62
7— प्रमुख जिला मार्गों का पुनः निर्माण	3,36,40
8— नव सृजित जनपदों के पहुँच मार्ग	78,59
9— ग्रामीण मार्गों का निर्माण	27,51
10— औद्योगिक क्षेत्र के कार्य	78,59
11— धार्मिक स्थलों से संबंधित निर्माण कार्य	25,94
योग	18,86,33

प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर पुलों एवं जिला मार्गों का निर्माण

प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये प्रदेश में मार्गों की बहुत कमी है इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है । इसके अतिरिक्त कतिपय नदियों पर लघु सेतु न होने के कारण उक्त मार्गों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है । अतः जनसाधारण की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला मार्गों एवं उन पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण अति आवश्यक है । इन कार्यों के लिए वर्ष 1994-95 में जिला सेक्टर से 15,71,96,000 रु० (अधिष्ठान रहित धनराशि की मांग) की आवश्यकता है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्यय में 15,71,96,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। योजनाओं की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

5054— सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत - (हजार रुपयों में)

04— जिला तथा अन्य सड़कें

337— सड़क निर्माण कार्य-जिला योजना 1994-95

1— खड़ंजा स्तर तक निर्मित मार्ग	4,11,85

	(हजार रुपयों में)
2— छूटी कड़ियों का नवनिर्माण	58,16
3— ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण (अम्बेदकर ग्राम सहित)	4,59,80
4— लघु सेतुओं का निर्माण	2,37,37
5— सेतुओं के पहुंच मार्गों का निर्माण	60,52
6— पान्टून सेतुओं का निर्माण	12,58
7— मुख्य जिला मार्गों का पुनः निर्माण	
(क) जिला तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले प्रमुख जिला मार्ग	13,36
(ख) धार्मिक स्थलों/पर्यटनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जिला मार्ग	3,93
(ग) अन्य महत्वपूर्ण जिला मार्गों का सुधार	32,22
8— अन्य जिला मार्गों का पुनः निर्माण	1,17,11
9— ग्रामीण मार्गों का पुनः निर्माण	1,65,06
योग	15,71,96

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उ० प्र० राजकीय वेधशाला, नैनीताल का सुदृढ़ीकरण	4,15	...	...	4,15	3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	89 प
	योग :	4,15	...	...	4,15		

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल का सुदृढ़ीकरण

उ०प्र० राजकीय वेधशाला, नैनीताल, भारत में खगोल भौतिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख शोध संस्थान है। वेधशाला का प्रमुख उद्देश्य खगोल भौतिकी के क्षेत्र में शोध करना तथा शोध में प्रेक्षणात्मक तथा व्याख्यात्मक कार्य करना है। वेधशाला में इस शोध कार्य हेतु 38 से.मी., 52 से.मी. , 56 से.मी. तथा 104 से.मी. व्यास की 4 दूरबीनें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्य करने हेतु इन दूरबीनों के समुचित उपयोग के लिए इस संस्था में उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों, संयंत्रों का विकास एवं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही वेधशाला में आवश्यक पदों का सृजन भी आवश्यक है। अतः संस्थान में सौर-सक्रियता के अध्ययन हेतु अनुभवी वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा सहायकों की सौर सक्रियता पर शोध कार्य हेतु पदों के अलग से सृजन की मांग न करते हुए वेधशाला की वैक्युम आप्टिकल स्पार दूरबीन योजना हेतु स्वीकृत पदों को संविलीन किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष 1994-95 में 4,15,000 रुपये के व्यय का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 4,15,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2— व्यय के अनुमान–

(क) कुल परिव्यय (1992-97) — 4,15,000 रुपये

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय — 4,15,000 रुपये

3—व्यय का विभाजन–

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग–

		वेतन-क्रम	संख्या
(1)	ज्योतिर्विद	रु० 3700-5000	1
(2)	सहायक ज्योतिर्विद	रु० 3000-4500	1
(3)	सिस्टम मैनेजर (कम्प्यूटर्स)	रु० 3000-4500	1
(4)	तकनीशियन	रु० 1200-2040	2
(5)	प्रयोगशाला सहायक	रु० 750-940	1
		योग	6

4— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन–

(हजार रुपयों में)

3425— अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–आयोजनागत–

60— अन्य–

004— अनुसंधान तथा विकास–

03— उ०प्र० राजकीय वेधशाला, नैनीताल का सुदृढ़ीकरण–

01—	वेतन	1,58
02—	महंगाई भत्ता	1,41
04—	यात्रा व्यय	05
05—	अन्य भत्ते	39
15—	छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	65
32—	अन्तरिम सहायता	07
	योग :	4,15

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें –आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने हेतु अनुदान	1	...	...	1	2202–सामान्य शिक्षा	93 प
	योग :	1	...	...	1		

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने हेतु अनुदान

प्राध्यापकों शोध छात्रों, विद्वानों आदि को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने हेतु यात्रा अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में यात्रानुदान की दरें निम्नवत् है :-

1-एशियाई देशों के लिये	2000 रुपये
2-यूरोपीय देशों तथा जापान के लिये	3000 रुपये
3-पश्चिमी देशों तथा आस्ट्रेलिया के लिये	4000 रुपये

उक्त दरें बहुत पुरानी हैं। वर्तमान में हवाई जहाज के किराये में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है। अतः उक्त दरों में निम्न प्रकार वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है :-

1-एशियाई देशों के लिये	5000 रुपये
2-यूरोपीय देशों तथा जापान के लिये	10,000 रुपये
3-अमेरिकी देशों तथा आस्ट्रेलिया के लिये	15,000 रुपये

इस योजना हेतु आय-व्ययक में जो व्यवस्था है उसी से फिलहाल व्यय को वहन करने का प्रयास किया जायेगा। अतः केवल 1000 रुपये की प्रतीक व्यवस्था करायी जा रही है। वर्तमान नियमों में तद्नुसार संशोधन कर यात्रानुदान की स्वीकृति दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

2202— सामान्य शिक्षा—आयोजनागत —

03— विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

800— अन्य व्यय—

11— प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने हेतु अनुदान——

14— सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाण्डुनगर, कानपुर में इन्टेन्सिव कारोनरी केयर यूनिट (आई०सी०सी० यूनिट) की स्थापना	31,52	...	...	31,52	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	97 प
	योग :	31,52	...	...	31,52		

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाण्डुनगर, कानपुर में इन्टेन्सिव कारोनरी केयर यूनिट (आई०सी०सी० यूनिट) की स्थापना

प्रदेश में बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को हृदय रोग उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत स्थापित आई०सी०सी० यूनिट हेतु आवश्यक मशीनें/साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र के क्रय करने का प्रस्ताव है। इसमें वर्ष 1994-95 में 31,51,500 रु० का अनावर्तक व्यय निहित है।

तद्नुसार 1994-95 के आय-व्ययक में 31,52,000 (सुगमांक) रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2—व्यय का विभाजन :-

साज-सज्जा/भण्डार/मशीनों के स्थूल व्योरे

भारत में क्रय की जाने वाली मशीनें/साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	31,52,000 रुपये

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत-

01— शहरी स्वास्थ्य सेवायें--पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति	(हजार रुपयों में)
102— कर्मचारी राज्य बीमा योजना	
04— चिकित्सालय	
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	31,52
योग	31,52

4—कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्य सहायता :-

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
1	2	3	4
निगमांश	27,59	0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें 101—कर्मचारी राज्य बीमा निगम से व्यय की पूर्ति हेतु प्राप्तियां	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 7/8 अंश

श्रम विभाग (सेवायोजन)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मशीन अनुरक्षण कर्मशाला, लखनऊ हेतु अवशेष साज-सज्जा का क्रय तथा पदों का सृजन।	18,66	...	...	18,66	2230—श्रम और रोजगार	101 प
2	विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत मशीनों का क्रय	1,15,00	...	...	1,15,00	तदैव	102 प
3	14 सेवायोजन कार्यालयों का संगणीकरण—उपस्करों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध।	2,00	...	...	2,00	तदैव	103 प
4	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ़, बुलन्दशहर, सहारनपुर तथा मिर्जापुर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग व्यवसाय खोला जाना।	29,27	...	...	29,27	तदैव	103 प
5	आगरा, बरेली तथा फतेहपुर में पूर्व में स्वीकृत आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु पदों का सृजन।	26,81	...	...	26,81	तदैव	104 प
6	भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मशीनों के मूल्य के राज्यांश हेतु व्यवस्था	4,00,50	...	...	4,00,50	तदैव	105 प
7	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी का भवन निर्माण।	...	19,00	...	19,00	4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	105 प
	योग :	5,92,24	19,00	...	6,11,24		

श्रम विभाग (सेवायोजन)

मशीन अनुरक्षण कर्मशाला, लखनऊ हेतु अवशेष साज-सज्जा का क्रय तथा पदों का सृजन

विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत लखनऊ में मशीन अनुरक्षण कर्मशाला की स्थापना की जा चुकी है और साज-सज्जा आदि के लिये 5,00,000 रुपये की स्वीकृति वर्ष 1992-93 में प्रदान की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार मशीन/उपकरण हेतु 20,00,000 रुपये अनुमोदित है। अवशेष साज-सज्जा और पदों के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 18,66,000 रुपये (2,82,000 रुपये आवर्तक तथा 15,84,000 रुपये अनावर्तक) का व्यय होना अनुमानित है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 18,66,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय विभाजन :-

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग-

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान (रुपये में)	पदों की संख्या
1	मिलराइट (फोरमैन)	1640-2900	1
2	मिलराइट इलेक्ट्रिशियन	1400-2600	1
3	मेन्टेनेन्स मैकेनिक	1400-2600	6
4	मिलराइट मेन्टेनेन्स	1400-2600	1
5	पेन्टर	950-1500	1
6	ड्राइवर	950-1500	1
		योग	11 पद

(ख) मशीनें साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे-

मद	(हजार रुपयों में)
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा/मशीनें	15,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2230— श्रम और रोजगार-आयोजनागत- (हजार रुपयों में)

03— प्रशिक्षण-

003— दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

0101— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-
(विश्व बैंक योजना-भारत सरकार से 50 प्रतिशत पुरोनिधानित)

01-वेतन	1,03
03-महंगाई भत्ता	98
04-यात्रा व्यय	10
05-अन्य भत्ते	23
06-कार्यालय व्यय	94
09-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10
20-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15,00
32-अन्तरिम सहायता	8
33-अन्य व्यय	20
योग	18,66

4—भारत सरकार से प्राप्य सहायताः—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखाशीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता अभिधारित की गयी है
केन्द्रांश	9,33	1601— केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान— 04— केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान— 800— अन्य अनुदान— 77— सेवायोजन— 7702— प्रशिक्षण	50 प्रतिशत के आधार पर

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत मशीनों का क्रय

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत मशीनों के क्रय हेतु 1,15,00,000 रुपये की आवश्यकता है। इस धनराशि से मशीनो का आपूर्ति प्रदेश की विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को की जायेगी। साज-सज्जा/मशीनें निदेशालय द्वारा क्रय की जायेंगी जो कि भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा 50 : 50 अनुपात में वहन किया जायेगा। उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 1994-95 में 1,15,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,15,00,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

2230— श्रम और रोजगार—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

03— प्रशिक्षण—

003— दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

0104— राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुरातन मशीनों का प्रतिस्थापन (विश्व बैंक योजना भारत सरकार से 50% पुरोनिधानित)

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,15,00

3—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों मे)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता अभिधारित की गयी है
1	2	3	4
अनुदान	57,50	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 04—केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान 800—अन्य अनुदान— 77—सेवायोजन— 7702—प्रशिक्षण—	50 प्रतिशत के आधार पर

14 सेवायोजन कार्यालयों का संगणीकरण-उपस्करों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध

प्रदेश के 14 सेवायोजन कार्यालयों हरदोई, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, मेरठ, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, यू०ई०बी० वाराणसी तथा शाहजहांपुर में पूर्व में स्थापित संगणीकरण-उपस्करों के वार्षिक अनुरक्षण हेतु अनुबन्ध किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्य पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2230— श्रम तथा रोजगार–आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
02— रोजगार सेवायें–	
001— निदेशन तथा प्रशासन–	
04— जिला रोजगार कार्यालय–	
23— अनुरक्षण	2,00

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगढ़, बुलन्दशहर, सहारनपुर तथा मिर्जापुर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग व्यवसाय खोला जाना

भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़, बुलन्दशहर, सहारनपुर तथा मिर्जापुर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग व्यवसाय की एक-एक यूनिट आगामी सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर 60 प्रतिशत भारत सरकार व अन्य स्रोतों से मशीनें प्राप्त होंगी। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 29,27,000 रुपये राज्यांश (1,13,000 रुपये आवर्तक तथा 28,14,000 रुपये अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 29,27,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। पदों का सृजन इस शर्त के अधीन है कि समकक्ष/समतुल्य पदों को निदेशालय द्वारा समर्पित किया जायेगा। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन–

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग–

पद	वेतनमान (रुपये)	पदों की संख्या
ग्रुप अनुदेशक	1400-2600	4

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2230— श्रम तथा रोजगार–आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
03— प्रशिक्षण–	
003— दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण–	
03— दस्तकार प्रशिक्षण योजना–	
01— वेतन	39
03— महंगाई भत्ता	38
05— अन्य भत्ते	8
06— कार्यालय व्यय	42
15— छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	2
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	27,76
33— अन्य व्यय	22
योग	29,27

आगरा, बरेली तथा फतेहपुर में पूर्व में स्वीकृत आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु पदों का सृजन

विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत आगरा, बरेली तथा फतेहपुर में आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु साज-सज्जा आदि क्रय करने के लिये आवश्यक धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। अब पदों का सृजन प्रस्तावित है। पदों के सृजन तथा तत्संबंधी व्यय के लिये वित्तीय वर्ष 1994-95 में 26,81,000 रुपये (8,13,000 रुपये आवर्तक तथा 18,68,000 रुपये अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 26,81,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग—

क्रम-सं०	पदनाम	वेतनमान (रुपयों में)	पदों की संख्या
1	सहायक निदेशक/ प्रधानाचार्य	2200-4000	3
2	प्रशिक्षण अधिकारी	2000-3500	3
3	व्यवसाय अनुदेशक	1400-2600	14
4	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	3
5	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	3
6	स्वीपर	750-940	3
7	चपरासी	750-940	3
			32 पद

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2230— श्रम और रोजगार-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

03— प्रशिक्षण—

003— दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

0101— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

(विश्व बैंक योजना भारत सरकार से 50 प्रतिशत पुरोनिधानित)

01— वेतन	3,31
03— महंगाई भत्ता	2,81
04— यात्रा व्यय	30
05— अन्य भत्ते	86
06— कार्यालय व्यय	1,78
20— मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	17,50
32— अन्तरिम सहायता	25
योग	26,81

3— भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखाशीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता अभिधारित की गयी है
अनुदान	13,40	1601— केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान– 04— केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान– 800— अन्य अनुदान– 77— सेवायोजन– 7702— प्रशिक्षण	50 प्रतिशत के आधार पर

भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मशीनों के मूल्य के राज्यांश हेतु व्यवस्था

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत मशीनों के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा अपना अंश वहन करने की लिए 4,00,50,000 रुपये की आवश्यकता है । यह धनराशि भारत सरकार के निस्तारण पर रहेगी, जबकि समतुल्य केन्द्रांश जोड़कर कुल 8,01,00,000 रुपये की मशीनों की आपूर्ति प्रदेश की विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को की जायेगी । इस प्रकार उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 1994–95 में 4,00,50,000 रुपये राज्यांश का व्यय अनुमानित है ।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 4,00,50,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है । स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

2230— श्रम और रोजगार–आयोजनागत– (हजार रुपयों में)

03— प्रशिक्षण

003— दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

0105— राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा क्रय किये जाने वाली मशीनों/उपकरणों की विरुद्ध 50 प्रतिशत राज्यांश की व्यवस्था

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र — 4,00,50

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी का भवन निर्माण

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, वाराणसी के भवन के निर्माण हेतु वर्ष 1987-88 में चलचित्र निगम के 27,00,000 रुपये के आगणन के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त आगणन के समक्ष 27,00,000 रुपये की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है परन्तु चलचित्र निगम को बन्द कर दिये जाने के कारण एवं उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को कार्य हस्तांतरित कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा बनाये गए पुनरीक्षित आगणन के आधार पर निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु वर्ष 1994-95 में 19,00,000 रुपये की आवश्यकता है ।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 19,00,000 रुपये को व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है । स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

4250— अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत– (हजार रुपयों में)

203— रोजगार –

07—क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय वाराणसी के भवन का निर्माण

18—वृहत् निर्माण कार्य — 19,00

सांस्कृतिक कार्य विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के अवध, भोजपुरी, गढ़वाल-कुमाऊं एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लोक संस्कृति के सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा संवर्धन की योजना।	2,80	...	...	2,80	2205–कला एवं संस्कृति	109 प
2	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के लिये कम्प्यूटर का क्रय।	90	...	...	90	तदैव	109 प
3	उ० प्र० के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना।	3,84	...	...	3,84	तदैव	109 प
4	भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण।	3,00	...	...	3,00	तदैव	110 प
5	सांस्कृतिक कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन स्थापित नये संग्रहालयों में गाड़ी तथा दूरभाष की व्यवस्था।	5,63	...	...	5,63	तदैव	110 प
6	कुशीनगर, देवरिया के संग्रहालय का सुदृढ़ीकरण।	3,00	...	...	3,00	तदैव	111 प
7	प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में निष्पादन कला के प्रोत्साहन की योजना।	14,40	...	...	14,40	तदैव	111 प
8	सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा मासिक पत्रिका, वार्षिक कैलेण्डर तथा अन्य विभागीय प्रकाशनों की योजना।	4,85	...	...	4,85	तदैव	112 प
9	प्रदेश में स्थापित संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण।	18,00	...	...	18,00	तदैव	112 प
10	प्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों के संरक्षण सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा का क्रय।	2,50	...	...	2,50	तदैव	112 प
11	कैसरबाग भवन, लखनऊ में सांस्कृतिक पुस्तकालय की स्थापना।	1,00	...	...	1,00	तदैव	113 प
12	उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में सांस्कृतिक कला प्रदर्शनी की स्थापना।	1,35	...	...	1,35	तदैव	113 प
13	वीडियो इकाई की स्थापना, फिल्मों का निर्माण तथा प्रमुख संग्रहालयों की परिचय योजना पर वीडियो फिल्म।	8,78	...	...	8,78	तदैव	113 प

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
14	क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, इलाहाबाद की स्थापना।	2,64	...	...	2,64	2205–कला एवं संस्कृति	114 प
15	उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के चार प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।	...	10,00	...	10,00	4202–शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	115 प
	योग :	72,69	10,00	...	82,69		

सांस्कृतिक कार्य विभाग

प्रदेश के अवध, भोजपुरी, गढ़वाल-कुमाऊं एवम् पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लोक संस्कृति के सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा संवर्धन की योजना

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा प्रदेश की लोक संस्कृति का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,80,000 रु० की आवश्यकता है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,80,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-	(हजार रुपयों में)
102— कला एवम् संस्कृति का संवर्धन	
00— प्रदेश की लोक संस्कृति का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवम् संवर्धन	
06—कार्यालय व्यय	2,80

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के लिए कम्प्यूटर का क्रय

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में एक कम्प्यूटर की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही है, जिससे कार्मिक सेवा अभिलेख इत्यादि के अतिरिक्त निदेशालय की योजनाओं/मदों के लिए वांछित स्वीकृति एवं उपभोग की धनराशि इत्यादि के आंकड़े सुविधापूर्वक रखे जा सकें। अतएव एक कम्प्यूटर क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 90,000 रुपये की आवश्यकता है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 90,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-	(हजार रुपयों में)
001— निदेशन एवं प्रशासन	
01— सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	90

उ० प्र० के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना

सांस्कृतिक कार्य विभाग में शास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत के विभिन्न विधाओं में उ० प्र० के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर का तैयार किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 3,84,000 रुपये की आवश्यकता है जिसमें वयोवृद्ध कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक मानदेय तथा छात्रों में रुपये 750=00 प्रतिमाह के आधार पर चार गुरूओं पर 1,44,000 रुपये तथा 20 छात्रों पर 2,40,000 रुपये कुल 3,84,000 रु० का व्यय सम्मिलित है। यह व्यय उक्त योजना की नियमावली प्रख्यापन के बाद किया जायेगा।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,84,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत-	(हजार रुपयों में)
102— कला एवं संस्कृति का संवर्धन	
15— राष्ट्रीय स्तर के कलाकार तैयार करने की योजना	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,84

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

सांस्कृतिक कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के विकास के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 3,00,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
101— ललित कला शिक्षा	
06— उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को नाटक केन्द्र हेतु अनुदान	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,00

सांस्कृतिक कार्य विभाग के नियन्त्रणाधीन स्थापित नये संग्रहालयों में गाड़ी तथा दूरभाष की व्यवस्था

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत नव-स्थापित संग्रहालयों गोरखपुर तथा अयोध्या में एक-एक मोटर गाड़ी तथा टेलीफोन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 5,63,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,63,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त जारी की जायेगी।

2—व्यय का विभाजन–

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग–

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)	पदों की संख्या
1	चालक	950-1500	2

(ख) मशीनें/साज-सज्जा/ संयंत्रों के स्थूल ब्यौरे

मद	(हजार रुपयों में)
दो जीप	4,67

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2205— कला एवं संस्कृति–आयोजनागत –	(हजार रुपयों में)
107— संग्रहालय–	
01— अधिष्ठान व्यय–	
01— वेतन	12
03— महंगाई भत्ता	11
05— अन्य भत्ते	2
07— टेलीफोन पर व्यय	60
08— कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ-कारों और अन्य मोटरगाड़ियों का क्रय	4,67
09— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10
32— अन्तरिम सहायता	1
योग	5,63

कुशीनगर, देवरिया के संग्रहालय का सुदृढ़ीकरण

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा देवरिया जनपद के कुशीनगर क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित हो जाने के बाद कुशीनगर में पुरातात्विक एवं उत्खननों से प्राप्त निर्माण स्थलों के स्तूप, गुप्तकालीन ताम्र पत्र इत्यादि के अवशेषों को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वर्ष 1994-95 में 3,00,000 रु० आवर्तक की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त जारी की जायेगी।

2—व्यय का विभाजन–

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग–

क्रम-सं०	पद नाम	वेतनमान (रुपये)	पदों की संख्या
1	संग्रहालयाध्यक्ष	2000–3200	1
2	वीथिका सहायक	1200–2040	1
3	टंकक-कम-लेखा लिपिक	950–1500	1
4	वीथिका परिचर	750–940	1
5	चौकीदार	750–940	1
		योग	5

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

	(हजार रुपयों में)
2205— कला एवं संस्कृति–आयोजनागत–	
107— संग्रहालय–	
01— अधिष्ठान व्यय–	
01— वेतन	77
03— महंगाई भत्ता	76
04— यात्रा व्यय	5
05— अन्य भत्ते	8
06— कार्यालय व्यय	1,32
32— अन्तरिम सहायता	2
योग	3,00

प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में निष्पादन कला के प्रोत्साहन की योजना

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में निष्पादन कला के प्रोत्साहन हेतु अवध, बृज, बुन्देलखण्ड और भोजपुर क्षेत्र की लोक नाट्य एवं लोक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है जिससे इन क्षेत्रों की लुप्तप्राय संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सके। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 14,40,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 14,40,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

	(हजार रुपयों में)
2205— कला एवं संस्कृति– आयोजनागत –	
102— कला एवं संस्कृति का संवर्धन —	
16— प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में निष्पादन कला का प्रोत्साहन –	
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	14,40

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा मासिक पत्रिका, वार्षिक कैलेण्डर तथा अन्य विभागीय प्रकाशनों की योजना

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा विभागीय महत्वपूर्ण कार्यों के प्रकाशन हेतु विभागीय मासिक पत्रिका, विभागीय गतिविधियों एवं वार्षिक कैलेण्डर तथा अन्य विभागीय प्रकाशनों को तैयार कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 4,85,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 4,85,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति – आयोजनागत —	(हजार रुपयों में)
001— निदेशन एवं प्रशासन	
01— सांस्कृतिक कार्य निदेशालय –	
12— प्रकाशन	4,85

प्रदेश में स्थापित संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण

उत्तर प्रदेश में स्थापित संग्रहालयों में से राज्य संग्रहालय, लखनऊ, राजकीय संग्रहालय, मथुरा/झांसी/गोरखपुर तथा राम कथा संग्रहालय, फैजाबाद, जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर तथा लोक कला संग्रहालय, सुल्तानपुर की वीथिकाओं का आधुनिकीकरण तथा शैक्षिक गतिविधियों का विकास एवं संग्रहालयों को जनोपयोगी बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 1994-95 में 18,00,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 18,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजन –

2205— कला एवं संस्कृति – आयोजनागत —	(हजार रुपयों में)
107— संग्रहालय–	
01— अधिष्ठान व्यय	
33— अन्य व्यय	18,00

प्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों के संरक्षण सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु उपकरणों एवं साज-सज्जा का क्रय

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,50,000 रु० की धनराशि की मशीनरी, साज-सज्जा, एवं उपकरणों का क्रय करने के लिए आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति – आयोजनागत –	(हजार रुपयों में)
107— संग्रहालय–	
01— अधिष्ठान व्यय	
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	2,50

कैसरबाग भवन, लखनऊ में सांस्कृतिक पुस्तकालय की स्थापना

सांस्कृतिक कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन कैसरबाग कला परिसर के अन्तर्गत एक पुस्तकालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 1,00,000 रु० की आवश्यकता है !

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत –	(हजार रुपयों में)
001— निदेशन एवं प्रशासन	
01— सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	
33—अन्य व्यय	1,00

उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में सांस्कृतिक कला प्रदर्शनी की स्थापना

सांस्कृतिक कार्य विभाग के निर्माणाधीन राज्य ललित कला अकादमी में सांस्कृतिक कला प्रदर्शनी (आर्ट इम्पोरियम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वर्ष 1994-95 में 1,35,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,35,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2205— कला एवं संस्कृति—आयोजनागत —	(हजार रुपयों में)
101— ललित कला शिक्षा	
04— उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी को अनुदान	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,35

वीडियो इकाई की स्थापना, फिल्मों का निर्माण तथा प्रमुख संग्रहालयों की परिचय योजना पर वीडियो फिल्म

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत वीडियो इकाई हेतु जीप के क्रय, वाहन चालक के वेतन एवं पेट्रोल, 10 से 15 फिल्मों के निर्माण तथा प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों की परिचय योजना पर वीडियो फिल्म बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 8,78,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 8,78,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन–

(क) अपेक्षित कर्मचारी-वर्ग

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	वाहन चालक (ड्राइवर)	950-1500	1

(ख) उपकरणों/मशीनों का क्रय

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
एक जीप	2,50

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखाशीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

001— निदेशन एवं प्रशासन	
01— सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	
01—वेतन	6
03—महंगाई भत्ता	6
05—अन्य भत्ते	2
08—कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	2,50
09—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50
33—अन्य व्यय	5,64
योग	8,78

क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, इलाहाबाद की स्थापना

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत स्थापित राज्य पुरातत्व संगठन की क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, इलाहाबाद की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,64,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,64,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन

(क) अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारी वर्ग

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी	2200-4000	एक
2	सर्वेक्षण सहायक-कम-फोटोग्राफर	1400-2300	एक
3	नक्शा नवीस	1400-2300	एक
4	कनिष्ठ लेखा लिपिक-कम-टंकक	950—1500	एक
5	चपरासी	750-940	एक
6	सफाई कर्मचारी-कम-चौकीदार	750-940	एक
		योग	6

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

2205— कला एवं संस्कृति-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

103— पुरातत्व विज्ञान	
03— पुरातत्व कार्यालय	
01—वेतन	68
03—महंगाई भत्ता	66
04—यात्रा व्यय	5
05—अन्य भत्ते	15
06—कार्यालय व्यय	50
07—टेलीफोन पर व्यय	5
11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	25
23—अनुरक्षण	30
योग	2,64

उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के चार प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में ब्रज, बुन्देलखण्ड, अवध एवं भोजपुर के सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक-एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 में 10,00,000 रु० की आवश्यकता है । प्रेक्षागृहों (सांस्कृतिक केन्द्र) का निर्माण लो कास्ट टेक्नालाजी से क्रियान्वित किया जायेगा ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

4202— शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनगत—

04— कला तथा संस्कृति

800— अन्य व्यय-

06— प्रदेश के चार प्रमुख कला क्षेत्रों
(ब्रज, बुन्देलखण्ड, अवध एवं भोजपुर)
में लघु प्रेक्षागृहों/सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण

18—वृहत् निर्माण कार्य — 10,00

उत्तराखण्ड विकास विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रकिया का विकेन्द्रीकरण योजनान्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों का रख-रखाव	2,48	...	...	2,48	2551-पहाड़ी क्षेत्र	119 प
2	उत्तराखण्ड की झीलों का विकास (जिला योजना)	2,00	...	...	2,00	तदैव	119 प
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा, दिनेशपुर, हल्द्वानी, काशीपुर तथा टनकपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोला जाना	7,11	...	...	7,11	तदैव	120 प
4	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून तथा काशीपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट का खोला जाना	1,47	...	...	1,47	तदैव	120 प
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) का खटीमा–नैनीताल में स्थापना	7,34	...	...	7,34	तदैव	121 प
6	उत्तराखण्ड में हैण्ड पम्पों की स्थापना	2,00,00	...	...	2,00,00	तदैव	122 प
7	पौधशालाओं की स्थापना	8,00	...	...	8,00	तदैव	122 प
8	वन पंचायतों के पदाधिकारियों/ वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था	6,00	...	...	6,00	तदैव	122 प
9	सूख रहे जल श्रोतों हेतु वनीकरण	16,00	...	...	16,00	तदैव	123 प
10	उत्तराखण्ड बाईबोल्टीन रेशम विकास परियोजना	10,00	...	...	10,00	तदैव	123 प
11	सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री पर अनुदान	5,40	...	...	5,40	तदैव	123 प
12	उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिवहन विभाग के लिये मशीन-सज्जा की व्यवस्था	10,50	...	...	10,50	तदैव	124 प
13	भारत-चीन व्यापार एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाया जाना	7,20	...	...	7,20	तदैव	124 प
14	राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना	6,23	...	...	6,23	तदैव	125 प

1	2	3	4	5	6	7	8
15	सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा तथा लैंसडाउन, पौड़ी का संगणीकरण	10,00	...	...	10,00	2551--पहाड़ी क्षेत्र	126 प
16	दुग्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	1,30	...	...	1,30	तदैव	126 प
17	मार्केट इन्टरवेंशन योजनान्तर्गत फलों के क्रय-विक्रय में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति (जिला सेक्टर)	6,00	...	...	6,00	तदैव	127 प
18	टिश्यू कल्चर विकास के अन्तर्गत क्षेत्रीय विस्तार की योजना (जिला सेक्टर)	4,26	...	...	4,26	तदैव	127 प
19	महिला सहकारी उपभोक्ता समितियों के आर्थिक सुधार हेतु उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	1,00	...	...	1,00	तदैव	128 प
20	मत्स्य विकास केन्द्र की स्थापना	1,00	...	...	1,00	तदैव	128 प
21	उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में 15 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना	2,42	...	...	2,42	तदैव	129 प
22	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना / पुलिस बल में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	6,52	...	...	6,52	तदैव	130 प
23	उत्तराखण्ड के जनपदों में गोदाम निर्माण योजना हेतु भूमि का क्रय	...	20,00	...	20,00	4551-पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	130 प
24	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा-टिहरी के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण	...	40,00	...	40,00	तदैव	131 प
25	उत्तराखण्ड क्षेत्र के आठ जनपदों में सड़क तथा पुल के जिला सेक्टर के नये कार्यों के लिये धन की व्यवस्था	...	3,92,99	...	3,92,99	तदैव	131 प
26	उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिवहन विभाग के लिये भूमि क्रय तथा भवन निर्माण	...	52,00	...	52,00	तदैव	132 प
27	जनपद अल्मोड़ा में लीति एवं गोगिना में आवासीय व्यवस्था हेतु प्रीफेब्रीकेटेड हट्स का निर्माण	...	15,00	...	15,00	तदैव	132 प
28	उत्तराखण्ड क्षेत्र के शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तन के लिये ऋण	...	...	5,00	5,00	6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कर्ज	132 प
29	उत्तराखण्ड क्षेत्र की नगरीय जलोत्सारण योजनाओं हेतु ऋण	...	...	75,00	75,00	तदैव	133 प
30	उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी एवं अन्य आय-वर्ग गृह निर्माण योजना आदि के लिये ऋण	...	...	1,00,00	1,00,00	तदैव	133 प
	योग :	3,22,23	5,19,99	1,80,00	10,22,22		

उत्तराखण्ड विकास विभाग

मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण योजनान्तर्गत जिला स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों का रख–रखाव

मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की योजना के सुविधापूर्वक एवं त्वरित क्रियान्वयन की दृष्टि से उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त आठों जनपदों के मुख्यालय पर एक–एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना केन्द्र द्वारा की गई है। अनुबन्ध के अनुसार इन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों के रख-रखाव का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना है। एतदर्थ 31,000 रुपये प्रति केन्द्र की दर से 2,48,000 रुपये की वर्ष 1994-95 में आवश्यकता होगी।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 2,48,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन– (हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र––

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत–

173— सचिवालय आर्थिक सेवायें

00—जिला स्तर पर स्थापित राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्रों का रखरखाव

33—अन्य व्यय	2,48
योग	2,48

उत्तराखण्ड की झीलों का विकास (जिला योजना)

उत्तराखण्ड में नैनीताल जनपद में तीन नैसर्गिक झीलें भीमताल, सात ताल व नौकुचियाताल मत्स्य की प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से मत्स्य विभाग के प्रबन्ध में हैं। इन झीलों में वर्तमान औसत मत्स्य उत्पादकता का स्तर काफी कम है। इस स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से परम आवश्यक है कि इन झीलों का समुचित दोहन और विकास किया जाय। योजना के महत्व की देखते हुए इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में क्रमागत रूप से चालू रखा जायेगा। इस योजना पर कुल 5,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके सापेक्ष वर्ष 1994-95 में 2,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—नई योजना के व्यय का अनुमान–

कुल परिव्यय (1994-98)	5,00,000 रुपये
अन्तिम आवर्तक व्यय	1,00,000 रुपये

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :– (हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र–

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–

144— मछली पालन–

06— झीलों का विकास–

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,00

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा, दिनेशपुर, हल्द्वानी, काशीपुर तथा टनकपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोला जाना

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा, दिनेशपुर, हल्द्वानी, काशीपुर तथा विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत टनकपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोले जाने का प्रस्ताव है । इस निमित्त वर्ष 1994-95 में कुल 7,11,000 रुपये की आवश्यकता है । अतः इतनी ही धनराशि की सारभूत मांग प्रस्तुत है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 7,11,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है । स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाएगी ।

2— अपेक्षित कर्मचारिवर्ग–

क्र०-सं०	पदनाम	वेतनमान रु०	पदों की संख्या
1	कार्यदेशक	1640-2900	1
2	व्यवसाय अनुदेशक	1400-2600	10
		कुल योग	11 पद

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :– (हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र –

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–

132— प्रशिक्षण

01— केन्द्रीय आयोजनागत-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

0101— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण – नये व्यवसायों का खोला जाना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) –

01— वेतन	1,10
03— महंगाई भत्ता	1,07
05— अन्य भत्ते	24
06— कार्यालय व्यय	1,65
15— छात्रवृत्तियां और वेतन	5
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,30
32— अंतरिम सहायता	8
33— अन्य व्यय	62
योग	7,11

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून तथा काशीपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट का खोला जाना

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून (महिला) ताथा काशीपुर में पूर्व स्वीकृत व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोले जाने का प्रस्ताव है । इस निमित्त वर्ष 1994-95 में कुल 1,47,000 रुपये की आवश्यकता है । अतएव उतनी ही धनराशि की सारभूत मांग प्रस्तुत है । वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,47,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है । स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2— अपेक्षित कर्मचारिवर्ग–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान रु०	पदों की संख्या
1	व्यवसाय अनुदेशक	1400-2600	2

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2551— पहाड़ी क्षेत्र–

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत—

132— प्रशिक्षण

01— केन्द्रीय आयोजनागत-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

0101—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण–नए व्यवसायों का खोला जाना–

	(हजार रुपयों में)
01–वेतन	20
03–महंगाई भत्ता	19
05–अन्य भत्ते	4
06–कार्यालय व्यय	29
15–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2
20–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	60
32–अंतरिम सहायता	2
33–अन्य व्यय	11
योग :	1,47

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका) का खटीमा–नैनीताल में स्थापना

उत्तरांचल क्षेत्र के खटीमा (नैनीताल) में जनजाति की बालिकाओं हेतु एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1994-95 में कुल 7,34,000 रुपये मात्र का व्यय अनुमानित है ।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 7,34,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है । स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2551— पहाड़ी क्षेत्र–

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–

127— अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–

00— अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना–

	(हजार रुपयों में)
01–वेतन	1,02
03–महंगाई भत्ता	99
04–यात्रा व्यय	05
05–अन्य भत्ते	26
06–कार्यालय व्यय	10
11–किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	30
19–लघु निर्माण कार्य	3,00
20–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,06
25–सामग्री और सम्पूर्ति	0,56
योग :	7,34

उत्तराखण्ड में हैण्ड पम्पों की स्थापना

उत्तराखण्ड में ऐसे स्थानों पर जहां पर पेयजल की असुविधा है, वहां पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की दृष्टि से हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित करने के उद्देश्य से यह योजना उ०प्र० जल निगम के माध्यम से संचालित करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 1994-95 में उत्तराखण्ड में हैण्ड पम्पों की अधिष्ठापना हेतु 2,00,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2551— पहाड़ी क्षेत्र-

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

116— जलपूर्ति-

00— उत्तराखण्ड में हैण्ड पम्प का अधिष्ठापन—

14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00,00

पौधशालाओं की स्थापना

उत्तराखण्ड क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि पर वनीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी संस्थाओं द्वारा पौध वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता में वृक्षारोपण के प्रति जागरुकता एवं उत्साह उत्पन्न करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें वर्ष 1994-95 में 8,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 8,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2551— पहाड़ी क्षेत्र - (हजार रुपयों में)

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत

145— वानिकी

00—पौधशालाओं की स्थापना (जिला योजना)

33— अन्य व्यय 8,00

वन पंचायतों के पदाधिकारियों/वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था

उत्तराखण्ड क्षेत्र के वन पंचायतों के संगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन पंचायत के अन्तर्गत प्रशिक्षण, गोष्ठी कार्यशाला के माध्यम से जनता को वन संबंधी अधिक लाभ पहुँचाने हेतु वन पंचायतों के पदाधिकारियों/वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 6,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 6,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2551— पहाड़ी क्षेत्र - (हजार रुपयों में)

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत

145— वानिकी

00— वन पंचायतों के पदाधिकारी/वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों का अल्पकालीन प्रशिक्षण

33— अन्य व्यय 6,00

सूख रहे जल श्रोतों हेतु वनीकरण

उत्तराखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक जल श्रोतों के आसपास वनीकरण एवं सघनीकरण करके जल श्रोतों के आसपास वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1994-95 में कुल 16,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है ।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 16,00,000 रुपये मात्र की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा-शीर्षकों के अनुसार विभाजन :

2551— पहाड़ी क्षेत्र –	(हजार रुपयों में)
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत–	
145— वानिकी	
00— वन जीवन सूख रहे जल श्रोतों हेतु वनीकरण(जिला योजना)	
33—अन्य व्यय	16,00
योग	16,00

उत्तराखण्ड बाईबोल्टीन रेशम विकास परियोजना

उत्तराखण्ड के आठों जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च गुणवत्ता के रेशम धागे के उत्पादन हेतु जलवायु सर्वथा उपर्युक्त है । बाईबोल्टीन कोया उत्पादन के लिये एक बाईबोल्टीन कोया उत्पादन परियोजना बनाई गयी है । यह परियोजना पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में चलाया जाना प्रस्तावित है । इस परियोजना की क्रियान्वयन अवधि पाँच वर्ष (1994-95) से (1998-99) की होगी । इस हेतु वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 10,00,000 रुपये मात्र की व्यवस्था कर ली गयी है । व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2551— पहाड़ी क्षेत्र–	(हजार रुपयों में)
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत–	
164— ग्राम तथा लघु उद्योग	
00— उत्तराखण्ड बाईबोल्टीन रेशम विकास परियोजना	
33— अन्य व्यय	10,00

सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री पर अनुदान

सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री पर वर्ष 1994-95 में अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य पर कुल 5,40,000 रुपये का व्यय अनुमानित है

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,40,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है । प्रस्ताव की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2551— पहाड़ी क्षेत्र–	(हजार रुपयों में)
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत–	
151— सहकारिता	
03— सहकारी क्रय-विक्रय योजना	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5,40

उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिवहन विभाग के लिये मशीन-सज्जा की व्यवस्था

उत्तराखण्ड क्षेत्रों में यातायात में परिवहन का विशेष महत्व है। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा गाड़ियों की गति को नियंत्रित करने तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु ड्राइविंग लाइसेंस मशीन का क्रय तथा गैस एनलाइजर्स क्रय का प्रस्ताव है। ड्राइविंग लाइसेंस मशीन के क्रय हेतु 1,50,000 रुपये तथा गैस एनलाइजर्स के क्रय हेतु 9,00,000 रुपये अर्थात् कुल 10,50,000 रुपये की अनावर्तक व्यय की आवश्यकता है

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 10,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—व्यय का विभाजन :

(क) साज-सज्जा के स्थूल ब्यौरे-

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
ड्राइविंग लाइसेन्स मशीन	1,50
गैस एनलाइजर्स	9,00
	10,50

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

2551— पहाड़ी क्षेत्र- (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

170—सड़क परिवहन-

02—उत्तराखण्ड क्षेत्र में अपर परिवहन आयुक्त कार्यालय की स्थापना

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 10,50

भारत-चीन व्यापार एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाया जाना

प्रादेशिक विकास दल के स्वंय सेवकों को भारत-चीन व्यापार एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिन्डारी व मिलन ग्लेशियर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित कर ड्यूटी पर लगाये जाने को योजना है। इन स्वयं सेवकों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया गया है। इन्हें ऊँची पर्वतमालाओं व दूरगामी रास्तों को पार करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त कार्य पर 7,20,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 7,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2551— पहाड़ी क्षेत्र-

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

152— समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-

11— प्रादेशिक विकास दल की योजना

33-अन्य व्यय 7,20

राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना

उत्तराखंड क्षेत्र के देहरादून जनपद में अनाथ एवं निराश्रित किशोर अवस्था 6 से 18 वर्ष की बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद अल्मोड़ा में स्थित बालिका निकेतन की भांति ही देहरादून जनपद में बालिका निकेतन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 1994-95 में 6,23,000 रु० मात्र के व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 6,23,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी

2—व्यय का विभाजन :—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग–

क्र०-सं० मदों की संख्या		पद का नाम	वेतनमान
1	अधीक्षिका (राजपत्रित)	1600-2660	1
2	मैट्रन	1200-2040	1
3	नर्स-कम-कम्पाउन्डर	तदैव	1
4	अध्यापिका	तदैव	2
5	संगीत अध्यापिका	तदैव	1
6	वरिष्ठ लिपिक/लेखाकार	तदैव	1
7	क्राफ्ट टीचर	तदैव	1
8	स्टोर कीपर/लिपिक	950-1500	1
9	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	तदैव	1
10	चपरासी	750-940	2
11	चौकीदार	तदैव	2
12	रसोइया	तदैव	2
13	जमादार	तदैव	1
14	कहार	तदैव	1
		योग	18

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

	(हजार रुपयों में)
2551— पहाड़ी क्षेत्र–	
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत-	
134— समाज कल्याण–	
00— राजकीय बालिका निकेतन की स्थापना–	
01— वेतन	1,08
03— महंगाई भत्ता	1,05
04— यात्रा व्यय	10
05— अन्य भत्ता	20
06— कार्यालय व्यय	21
11— किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	24
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	96
32— अन्तरिम सहायता	11
33— अन्य व्यय	2,28
योग	6,23

सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा तथा लैंसडाउन, पौड़ी का संगणीकरण

उत्तराखण्ड में स्थित सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा तथा लैंसडाउन, पौड़ी के संगणीकरण किये जाने का प्रस्ताव है । इस निमित्त वर्ष 1994-95 में अनावर्तक व्यय के लिए 10,00,000 रु० की आवश्यकता है ।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र–

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत-

131— रोजगार सेवायें–

08— सेवायोजन कार्यालयों का संगणीकरण

20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 10,00

दुग्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम

दुग्ध सेक्टर के अन्तर्गत जितनी भी एक्टीविटीज का सम्पादन होता है उनमें अनुसंधान एवं विकास की असीमित संभावनाएं हैं । अतः इस बात की आवश्यकता है कि अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न कृषि विश्वविद्यालयों, स्वंय सेवी संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाय कि वे ऐसे क्षेत्र में भी अनुसंधान करें जिसका सीधा लाभ डेरी सेक्टर को मिल सके एवं जो व्यवहारिक भी हों तथा ऐसी संस्थाएं स्वयं ऐसा पैकेज बनाकर दें जिसके आधार पर कार्य करने पर वांछित परिणाम निकले । इसके लिए आवश्यक है कि अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिस्थापित व्यक्तियों का एक विशेषज्ञ पैनेल का चयन किया जाय तथा पैनेल के सम्मुख डेरी सेक्टर की प्रमुख समस्याएं रखी जायं और यह पैनल जिन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए चयन किया जाना है उसका चुनाव करें और तदोपरान्त विकास कार्यों/अनुसंधान कार्यों में संलग्न कृषि विश्वविद्यालयों/सहकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं को इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय एवं इन विकास कार्यों/अनुसंधान के सत्यापन हेतु एक आधुनिक लैब बनायी जाय । उक्त योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 4,70,000 रुपये का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,30,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

(हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत–

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र

143— डेरी विकास

00— अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,30

मार्केट इन्टरवेंशन योजनान्तर्गत फलों के क्रय-विक्रय में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति (जिला सेक्टर)

प्रदेश के उत्तराखण्ड जनपदों में उत्पादित होने वाले फलों के उद्यानपतियों की उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य दिए जाने के उद्देश्य से बाजार हस्ताक्षेप योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की सहमति से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है जिसमें हुई हानि का प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत अंश वहन किया जाता है । इस योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में राज्यांश के रूप में 6,00,000 रुपयों का व्यय होना अनुमानित है ।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 6,00,000 रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत	
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र	
140— फसल कृषि कर्म	
04— उद्यान कर्म एवं फलोपयोग	
00— मार्केट इन्टरवेंशन योजना के अन्तर्गत फलों के क्रय-विक्रय में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	6,00

टिश्यू कल्चर विकास के अन्तर्गत क्षेत्रीय विस्तार की योजना (जिला सेक्टर)

औद्यानिक उपजों में रोपण सामग्री का भारी महत्व है । शुद्ध अनुबंधिक गुणयुक्त तथा रोग-व्याधि मुक्त रोपण सामग्री से फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भारी वृद्धि की संभावनायें होती हैं । टिश्यू कल्चर विधि से पौध प्रसारण इस दिशा में भारी योगदान दे रहा है । किन्तु इस दिशा में प्रदेश में अभी सीमित क्षेत्रों में ही कार्य हो रहा है । टिश्यू कल्चर विधि से पौध प्रसारण को बढ़ावा देने तथा इस तकनीक का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार किए जाने हेतु उक्त योजना को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है । उक्त योजना पर वर्ष 1994-95 में 4,26,000 रुपयों का व्यय अनुमानित है ।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 4,26,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-	
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र	
140— फसल कृषि कर्म	
04— उद्यान कर्म एवं फलोपयोग	
0400— टिश्यू कल्चर विकास के अन्तर्गत क्षेत्रीय विस्तार	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	3,96
15—छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	30
	4,26

महिला सहकारी उपभोक्ता समितियों के आर्थिक सुधार हेतु उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड क्षेत्र में महिला सहकारी समितियों के माध्यम से उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास करके स्वावलम्बी बनाना है। महिला उपभोक्ता समितियों के सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, सदस्यों का आर्थिक सुधार एवं उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है जिससे यह समितियां अपने सदस्यों को व्यवसाय देकर उनका आर्थिक विकास कर सकेंगी। इन महिला समितियों द्वारा मसाला पिसाई, पापड़, बड़ी एवं सिलाई-बुनाई इकाइयों की स्थापना की जानी है। ये समितियां व्यवसाय वृद्धि कर कुटीर उद्योग को बढ़ावा प्रदान करेंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हीं के क्षेत्रों में हो जायेगी। महिला उपभोक्ता सहकारी समितियों का मुख्य कार्य सिलाई, कढ़ाई, पापड़ तथा बड़ी बनाना आदि है। ये अपना रोजगार समिति के माध्यम से अपनी उत्पादन इकाई प्रारम्भ कर, जिसके कि प्रबन्ध में वह भागीदार हैं, कार्य करेंगी जिसका सम्पूर्ण लाभ समितियों, सदस्यों को प्राप्त होगा।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद नैनीताल एवं देहरादून की महिला समितियों की वित्तीय वर्ष 1994-95 में योजनान्तर्गत 1,00,000 रुपये स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-	(हजार रुपयों में)
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
151— सहकारिता—	
04— सहकारी उपभोक्ता भंडार की योजना	
14— सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,00

मत्स्य विकास केन्द्र की स्थापना

जनपद नैनीताल में निर्माणाधीन भीमताल मत्स्य विकास केन्द्र तथा जनपद देहरादून में निर्माणाधीन बेतवाली मण्डी मत्स्य विकास केन्द्र को साज-सज्जा हेतु वर्ष 1994-95 में 1,00,000 रुपये की धनराशि का व्यय होना अनुमानित है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में उक्त धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन

क्र०सं०	मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
1	फर्नीचर	50
2	प्रदर्शन सामग्री	50
	योग	1,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

2551— पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-	(हजार रुपयों में)
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
144— मछली पालन—	
01— पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य विकास केन्द्रों की स्थापना	
20— मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,00

उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में 15 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना

उत्तराखण्ड में शहरी क्षेत्र की जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 15 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए 2 नये 15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना पर 2,42,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार 1994-95 के आय-व्ययक में 2,42,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— व्यय का विभाजन–

(क) कर्मचारिवर्ग (अपेक्षित)

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	चिकित्साधिकारी (एक महिला)	2200-4000	4
2	फार्मेसिस्ट	1350-2300	4
3	स्टाफ नर्स	1400-2600	6
4	भृत्य	750-940	4
5	स्वच्छक	750-940	4
6	चौकीदार	750-940	2
7	कुक-कम-कहार	750-940	2
		योग	26

3–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि को लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

(हजार रुपयों में)

2551— पहाड़ी क्षेत्र

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–

111— शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथिक-अन्य चिकित्सा पद्धतियां

0304— 15 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना

01—वेतन	35
03—महंगाई भत्ता	32
04—यात्रा व्यय	1
05—अन्य भत्ते	3
06—कार्यालय व्यय	10
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	–
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,50
32—अन्तरिम सहायता	1
33—अन्य व्यय	10
योग	2,42

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों की सेना /पुलिस बल में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना तथा पुलिस बल में भर्ती के लिये पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने की योजना प्रस्तावित है। गढ़वाल क्षेत्र में लैंस डाउन तथा कुमायूं क्षेत्र में रानीखेत (अल्मोड़ा) में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इस योजना के संचालन में वर्ष 1994-95 में कुल 6,52,000 रुपये केवल व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 6,52,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। इस सम्बन्ध में स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन :-

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग

पदनाम	पदों की सं०	नियत वेतन रु०	वर्ष का वेतन	दोनों प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु कुल व्यय
1	2	3	4	5
1 प्रोजेक्ट अधिकारी	1	2500/ प्रतिमाह	30,000	60,000
2 क्वार्ट मास्टर हवलदार	1	1800/ ,,	21,600	43,200
3 प्रशिक्षक हवलदार	3	1800/ ,,	64,800	1,29,600
4 लिपिक-कम-टंकक	1	1800/ ,,	21,600	43,200
5 कुक बावर्ची	1	1000/ ,,	12,000	24,000
6 मसालची	1	800/ ,,	9,600	19,200
7 चौकीदार	1	1000/ ,,	12,000	24,000
8 सफाई वाला (अंशकालिक)	1	200/ ,,	2,400	4,800
			1,74,000	3,48,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

	(हजार रुपयों में)
2551— पहाड़ी क्षेत्र–	
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–	
134— समाज कल्याण–	
28— भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना –	
01–वेतन	3,48
11–किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	48
33–अन्य व्यय	2,56
योग	6,52

उत्तराखण्ड के जनपदों में गोदाम निर्माण योजना भूमि का क्रय

प्रदेश में जन वितरण प्रणाली की सुदृढ़ बनाने तथा विभिन्न क्रय योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले खाद्यानों के सुरक्षित भण्डारण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 93 गोदामों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 21 नये गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सभी स्थानों पर निःशुल्क भूमि नहीं मिल सकेगी जिसके परिणामस्वरूप कहीं-कहीं पर भूमि क्रय करने की आवश्यकता होगी। वर्ष 1994-95 में गोदाम निर्माण हेतु भूमि क्रय के प्रयोजन के लिये 20,00,000 रुपये की आवश्यकता का अनुमान है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4551— पहाड़ी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र--	(हजार रुपयों में)
176— सिविल पूर्ति-	
00— उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि का क्रय-	
18— वृहत् निर्माण	20,00

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा-टिहरी के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा-टिहरी के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का वर्ष 1994-95 में निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है । इस कार्य पर कुल 1,62,30,000 रुपये का व्यय अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 1994-95 में व्यय के लिये 40,00,000 रु० की आवश्यकता है ।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 40,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है । प्रस्ताव की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2— आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4551— पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत (हजार रुपयों में)

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र-	
203— लोक निर्माण–सामान्य–विभागीय भवन	
0107— श्रम	
18— वृहत् निर्माण कार्य (अनु० लागत–1,62,30,000 रु०)	40,00

उत्तराखण्ड क्षेत्र के आठ जनपदों में सड़क तथा पुल के जिला सेक्टर के नये कार्यों के लिये धन की व्यवस्था

उत्तराखण्ड क्षेत्र के आठ जनपदों में वित्तीय वर्ष 1994-95 में 3,92,99,000 रुपये की लागत से आवश्यकतानुसार नई सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है ।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय–व्ययक में 3,92,99,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है । वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

4551— पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र	(हजार रुपयों में)
169— सड़क तथा सेतु	
01— सड़क	
0102— सड़क (जिला सेक्टर)	
18— वृहत् निर्माण कार्य	3,00,00
02— पुल	
0202— पुल (जिला सेक्टर)	
18— वृहत् निर्माण कार्य	92,99
योग	3,92,99

उत्तराखण्ड क्षेत्र में परिवहन विभाग के लिये भूमि क्रय तथा भवन निर्माण

उत्तराखण्ड क्षेत्र में श्रीनगर (पौढ़ी गढ़वाल) तथा टनकपुर (पिथौरागढ़) में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि क्रयार्थ 2,00,000 रु० अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, श्रीनगर कार्यालय हेतु भूमि क्रय के लिये 10,00,000 रु० तथा पैसेन्जर शेल्टर के निर्माण हेतु 40,00,000 रु० अर्थात् कुल 52,00,000 रु० के व्यय का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 52,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4551— पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय –आयोजनागत–	
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
170— सड़क परिवहन –	
02— सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्रीनगर तथा टनकपुर कार्यालयों के स्थापनार्थ भूमि क्रय –	
18–वृहत निर्माण	2,00
03— अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, श्रीनगर के कार्यालय के लिये भूमि का क्रय –	
18–वृहत निर्माण	10,00
04— पैसेन्जर शेल्टर्स का निर्माण –	
18–वृहत निर्माण	40,00
योग ...	52,00

जनपद अल्मोड़ा में लीति एवं गोगिना में आवासीय व्यवस्था हेतु प्रीफेब्रिकेटेड हट्स का निर्माण

जनपद अल्मोड़ा में लीति एवं गोगिना नामक स्थान पर ट्रैकर्स के लिये आवासीय व्यवस्था हेतु प्रीफेब्रिकेटेड हट्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में 15,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 15,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति आगणन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4551— पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–	(हजार रुपयों में)
60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र –	
175— पर्यटक अवसंरचना	
16— अल्मोड़ा आवासीय व्यवस्था हेतु प्रीफेब्रिकेटेड हट्स का निर्माण	
18—वृहत निर्माण कार्य	15,00

उत्तराखण्ड क्षेत्र के शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तन के लिये ऋण

उत्तराखण्ड क्षेत्र की मल–जल सफाई योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तन करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस हेतु आवश्यक धनराशि उत्तराखण्ड क्षेत्र की स्थानीय निकायों को आधा अनुदान व आधा ऋण के रूप में दी जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव पर वर्ष 1994–95 में 5,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार आय–व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई हैं।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

6551— पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कर्ज–आयोजनागत–

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र

117— मल-जल सफाई

01— पर्वतीय क्षेत्र में शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये जल निगम को ऋण

24—निवेश/ ऋण	5,00

उत्तराखण्ड क्षेत्र की नगरीय जलोत्सारण योजनाओं हेतु ऋण

उत्तरांचल क्षेत्र में नगरीय जलोत्सारण की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रश्नगत प्रयोजन हेतु जल निगम को आधी धनराशि अनुदान के रूप में तथा आधी धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की जानी प्रस्तावित है। वर्ष 1994-95 में जलोत्सारण हेतु ऋण के रूप में जल निगम को दिये जाने हेतु 75,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 75,00,000 को धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

6551— पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कर्ज–आयोजनागत—

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र

116— जलापूर्ति

01— पर्वतीय जिलों की पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये ऋण–

24–निवेश / ऋण	75,00

उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी एवं अन्य आय-वर्ग गृह निर्माण योजना आदि के लिए ऋण

उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उनके आय के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए आधारिक पूंजी के रूप में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि ये गृहों के निर्माणार्थ भूमि का अर्जन कर सकें और उन्हें लाभान्वित कर सकें। इस हेतु वर्ष 1994-95 में 1,00,00,000 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है।

तदनुसार वर्ष 1994-95 के आय–व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :

(हजार रुपयों में)

6551— पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार –

60— अन्य पहाड़ी क्षेत्र –आयोजनागत–

120— ग्रामीण आवास –

01— अन्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों को ऋण–	
24–निवेश / ऋण	25,00
02— विकास प्राधिकरणों को आधारिक पूंजी हेतु ऋण	
24–निवेश / ऋण	50,00
03— आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को गृह निर्माण हेतु विकास प्राधिकरणों को ऋण	
24–निवेश / ऋण	25,00
योग :	1,00,00

भाग–2
आयोजनेतर–नई मदें

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर आस्थगन की सुविधा के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण	–	–	60,00,00	60,00,00	6885—उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	139 न
	योग	–	–	60,00,00	60,00,00		

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर आस्थगन की सुविधा के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 4 (क) में नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर मुक्त/आस्थगन की सुविधा दिनांक 1.4.90 से 31.3.95 तक अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 8 (2-क) तथा नियम 43 के अनुसार वह ग्राहकों से कर वसूल करके अपने पास रख सकते हैं परन्तु आयकर अधिनियम की धारा 43-ख.के कारण उक्त धनराशि उनकी आय में शामिल हो जाती है। इस प्रकार उन्हें आयकर देना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा यह सुविधा प्रदान की गयी है कि यदि इकाई चाहे तो आस्थगित राशि पिकप से ऋण के रूप में स्वीकृत करा ले जो पुस्तक समायोजन द्वारा बिक्रीकर विभाग के लेखे में जमा करा दी जाएगी। स्वीकृत ऋण का नकद भुगतान पिकप को नहीं किया जायेगा वरन पुस्तक समायोजन के माध्यम से पिकप पर ऋण माना जायेगा। पिकप द्वारा भी इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया जायेगा जो इकाइयों द्वारा देय बिक्रीकर की राशि के समक्ष बिक्रीकर विभाग के सुसंगत प्राप्ति लेखा शीर्षक में पुस्तक समायोजन द्वारा जमा किया जायेगा।

2— योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक लगभग रु० 99.97 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 1993-94 में 50,00,00,000 रुपये का आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। इसी प्रकार वर्ष 1994-95 में भी औद्योगिक इकाइयों से लगभग रु० 60.00 करोड़ धनराशि के ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने का अनुमान है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए योजनान्तर्गत 60,00,00,000 रुपये की मांग प्रस्तुत है जिसकी व्यवस्था 1994-95 के आय-व्ययक में कर लीं गयी है।

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

6885— उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज—आयोजनेतर	(हजार रुपयों में)
01— औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज—	
190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज—	
05— प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन को बिक्रीकर राशि के आस्थगन योजना के अन्तर्गत कर्ज—	
24—निवेश/ऋण	60,00,00

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण	–	–	5,00,00	5,00,00	6404—डेरी विकास के लिये कर्ज	143 न
	योग	–	–	5,00,00	5,00,00		

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण

आपरेशन फ्लड योजना क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन में हो रही अभूत पूर्व वृद्धि की गति को बनाये रखने के उद्देश्य से उपार्जित फालतू दूध का उपयोग दुग्ध चूर्ण बनाने में किया जा रहा है जिसमें दुग्ध सहकारिताओं की पूंजी ब्लाक होने के कारण उनके समक्ष कार्यशील पूंजी का अभाव हो गया है । चूंकि दुग्ध उत्पादकों के व्यापक हित में दुग्ध उपार्जन की गति को बनाये रखना आवश्यक है, अतः वर्तमान आर्थिक संकट को समाप्त करने के लिये प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि०, जो आपरेशन फ्लड योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है, की कुल 5,00,00,000 रुपये का अल्पकालिक ऋण राज्य सरकार की प्रभावी ब्याज की दरों पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है जिसका प्रतिदान चार समान त्रैमासिक किस्तों में एक वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

तद्नुसार 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

6404— डेरी विकास के लिये कर्ज–आयोजनेतर

190— सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–

00— प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को कार्यशील पूंजी हेतु अल्पकालिक ऋण–

24—निवेश / ऋण 5,00,00

गृह विभाग (पुलिस)

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाता है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद फैजाबाद में यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण	3,55	–	–	3,55	2055—पुलिस	147 न
	योग :	3,55	–	–	3,55		

गृह विभाग (पुलिस)

जनपद फैजाबाद में यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण

जनपद फैजाबाद में यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण करने के लिये कतिपय पदों का सृजन प्रस्तावित है जिन पर कुल 3,55,000 रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,55,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—अपेक्षित कर्मचारियों का स्थूल व्योरा :-

क्रमांक	पद	संख्या	वेतनमान (रु०)
1	उप-निरीक्षक	1	1640-2900
2	हेड कान्सटेबिल	1	975-1660
3	कान्सटेबिल	10	950-1400

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन–

2055— पुलिस –आयोजनेतर

109— जिला पुलिस – (हजार रुपयों में)

03— जिला पुलिस (मुख्य) –

01— वेतन	1,45
03— महंगाई भत्ता	1,34
05— अन्य भत्ते	75
32— अन्तरिम सहायता	1
	3,55

नागरिक उड्डयन विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में हैंगर आदि का सुदृढ़ीकरण	46,12	–	–	46,12	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	151 न
	योग :	46,12	–	–	46,12		

नागरिक उड्डयन अनुभाग

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में हैंगर आदि का सुदृढ़ीकरण

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के हैंगर नं० 1 जिसमें वायुयानों/हेलीकाप्टरों को रखने तथा उनके अनुरक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है, क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उक्त वायुयानों/हेलीकाप्टरों की सुरक्षा तथा निदेशालय की समुचित व्यवस्था के लिये उक्त हैंगर के फर्श का सुदृढ़ीकरण, निदेशालय के एवियोनिक्स लैब वायुयान अनुरक्षण अभियंताओं/पाइलेटों आदि के लिये हैंगर में एल्युमिनियम कैबिनों की व्यवस्था तथा हैंगर के शेड का सुदृढ़ीकरण व पेन्टिंग तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों को कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त अनुरक्षण संबंधी समस्त कार्यों के लिये वर्ष 1994-95 में कुल 46,12,000 रुपये की धनराशि का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार 46,12,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

	(हजार रुपयों में)
2070— अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेतर––	
114— वाहन का क्रय तथा रख-रखाव–	
03— वायुयानों का क्रय–	
23— अनुरक्षण	46,12

न्याय विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम्म-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना	3,26	–	–	3,26	2014—न्याय प्रशासन	155 न
2	जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर में एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना	31	–	–	31	---तदैव--	156 न
3	विधि परामर्शी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के उपयोगार्थ एक स्टाफ कार की व्यवस्था	2,00	–	–	2,00	---तदैव---	156 न
4	अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु व्यवस्था	11,00	–	–	11,00	---तदैव--	156न
5	जनपद वाराणसी में एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना	5,96	–	–	5,96	---तदैव---	157 न
6	जिले में असिस्टेन्ट सेशन जज के लिये 2 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिये 35 आवासीय टेलीफोनों की सुविधा (एस० टी० डी० रहित) उपलब्ध कराया जाना	3,70	–	–	3,70	---तदैव---	158 न
7	उ० प्र० कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के सदस्य-सचिव के शासकीय प्रयोग हेतु स्टाफ कार की व्यवस्था	2,00	–	–	2,00	---तदैव---	159 न
	योग :	28,23	–	–	28,23		

न्याय विभाग

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना

जनपद न्यायालयों में वादों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए शासन द्वारा वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार न्यायालय के सृजन के लिए 3,26,000 रुपये की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2— व्यय का विभाजन –

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग–

1–अतिरिक्त न्यायालय के लिये–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या
1	मुंसिफ मजिस्ट्रेट	2200-4000	1 (एक)
2	मुंसरिम	1200-2040	1 (एक)
3	वाद लिपिक	1200-2040	1 (एक)
4	विविध लिपिक	1200-2040	1 (एक)
5	प्रतिलिपिक	950-1500	1 (एक)
6	उप-नाजिर	1200-2040	1 (एक)
7	रीडर	1200-2040	1 (एक)
8	अर्दली	750-940	1 (एक)
9	चपरासी	750-940	1 (एक)
10	चौकीदार-कम-फर्राश	750-940	1 (एक)
11	प्रोसेस सरवर	750-940	1 (एक)
12	स्वच्छकार (अंशकालिक)	300/- प्रतिमाह (नियत वेतन)	

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन –

2014— न्याय प्रशासन-आयोजनेतर –

105— सिविल और सेशन्स न्यायालय –

06— मुंसिफ (हजार रुपयों में)

01—वेतन	1,45
03—महंगाई भत्ता	1,41
04—यात्रा व्यय	6
05—अन्य भत्ते	2
06—कार्यालय व्यय	30
32—अन्तरिम सहायता	1
33—अन्य व्यय	1
योग ...	3,26

जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर में एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना

फौजदारी वादों के निस्तारण से सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर में एक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

तद्नुसार इसके लिए वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 31,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2014—न्याय प्रशासन-आयोजनेतर –

108—दण्ड न्यायालय –

01— नियमित अधिष्ठान		(हजार रुपयों में)
	04—यात्रा व्यय	10
	06—कार्यालय व्यय	7
	11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	12
	33—अन्य व्यय	2
	योग ...	31

विधि परामर्शी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के उपयोगार्थ एक स्टाफ कार की व्यवस्था

विधि परामर्शी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के उपयोगार्थ एक स्टाफ कार क्रय किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 2,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। इसकी स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2014—न्याय प्रशासन-आयोजनेतर –

114— विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सेल)

02— विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता –		(हजार रुपयों में)
	08—कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	2,00

अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु व्यवस्था

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्मित आवासों एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ, के न्यायाधीशों एवं अधिकारियों के लिए निर्मित आवासों की मरम्मत हेतु क्रमशः 10,00,000 रुपये एवं 1,00,000 रुपये अर्थात् कुल 11,00,000 रुपये की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 10,00,000 रुपये मतदेय तथा *1,00,000* रुपये भारित की व्यवस्था कर ली गयी है। इसकी स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2014—न्याय प्रशासन-आयोजनेतर --

800—अन्य व्यय (हजार रुपयों में)

07—विभागीय आवासीय भवनों का अनुरक्षण–

23—अनुरक्षण

	(मतदेय)	10,00
	(भारित)	*1,00*
योग	मतदेय	10,00
	भारित	*1,00*

जनपद वाराणसी में एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत वाराणसी में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस न्यायालय की स्थापना हेतु 5,96,000 रुपये की आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2–व्यय का विभाजन–

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग –

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु०)
1	जज पारिवारिक न्यायालय	एक	4500-5700
2	काउन्सलर (परामर्शदाता)	एक	2000 नियत मासिक वेतन
3	सदर मुंसरिम	एक	1640-2900
4	आशुलिपिक ग्रेड-1	एक	1400-2600
5	रीडर	एक	1200-2040
6	वादलिपिक/भरण-पोषण लिपिक	एक	1200-2040
7	निष्पादन लिपिक/संरक्षण लिपिक	एक	1200-2040
8	लेखा लिपिक	एक	1200-2040
9	टंकक/प्रतिलिपिक	एक	950-1500
10	कार्यालय चपरासी	एक	750-940
11	न्यायालय चपरासी	एक	750-940
12	अर्दली	एक	750-940
13	संदेश वाहक	एक	750-940
		कुल 13	

(ख) साज-सज्जा, मशीनें, भण्डार आदि के ब्योरे –

क्रमांक	मद	संख्या	धनराशि (हजार रुपयों में)
1	टाइपराइटर मशीनें (अनावर्तक)	2	12
2	विधि पुस्तकें	–	5
3	उपस्कर	–	15
4	लोहे की आलमारियां	2	5
5	दरियां	2	0.5
6	साइकिलें	2	2
7	दीवाल घड़ियां	2	0.5
8	प्रासंगिक व्यय	–	1
		योग ...	41 (अनावर्तक)

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2014— न्याय प्रशासन–आयोजनेतर –

105— सिविल तथा सेशन्स न्यायालय–

09— पारिवारिक न्यायालय –

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	2,19
03—महंगाई भत्ता	1,89
04—यात्रा व्यय	5
05—अन्य भत्ते	71
06—कार्यालय व्यय	41
07—टेलीफोन पर व्यय (आवास व कार्यालय)	18
11—किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	50
32—अन्तरिम सहायता	1
33—अन्य व्यय	2
योग ...	5,96

जिले में असिस्टेन्ट सेशन जज के लिए–2 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए 35 आवासीय टेलीफोनों की सुविधा (एस०टी०डी० रहित) उपलब्ध कराया जाना

विधि और व्यवस्था तथा फौजदारी वादों के निस्तारण से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु जिलों में चरणबद्ध योजना के अन्तर्गत असिस्टेन्ट सेशन जज के लिए–2 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए 35 अर्थात् कुल 37 आवासिक टेलीफोन की (एस० टी० डी० रहित) सुविधा 3,70,000 रुपये की लागत से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 3,70,00[illegible] की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2014—न्याय प्रशासन-आयोजनेतर----

108— दण्ड न्यायालय– (हजार रुपयों में)

01— नियमित अधिष्ठान–

07—टेलीफोन पर व्यय– 3,70

उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के सदस्य सचिव के शासकीय प्रयोग हेतु स्टाफ कार की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड के सदस्य सचिव के शासकीय कार्यों हेतु एक अम्बेसडर कार क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 2,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –आयोजनेतर–

200— अन्य कार्यक्रम –

03— उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता तथा परामर्श बोर्ड – (हजार रुपयों में)

08—कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय 2,00

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उ० प्र० नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनाथालाय/यतीमखानों को अनुदान	13,18	–	–	13,18	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	163 न
	योग	13,18	–	–	13,18		

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

उ०प्र० नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनाथालय / यतीमखानों को अनुदान

उ० प्र० नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नियंत्रणाधीन कुल 104 संस्थायें हैं जिसमें 44 संस्थायें अनाथालय और यतीमखानों की श्रेणी में आती हैं। इन संस्थाओं द्वारा 1096 संवासिनियों पर कुल सालाना खर्च 27,85,380 रुपये किया जा रहा है जब कि 1096 संवासिनियों के लिये 312 रुपये की दर से कुल 41,03,424 रुपये खर्च किया जाना चाहिये। इन संस्थाओं को दान-चन्दा भी कम मिल पा रहा है जिसके कारण संवासिनियों का भरण-पोषण पूरा करने में इन संस्थाओं को कठिनाई हो रही है। अतः इन संस्थाओं को संवासिनियों के हित में समय से उचित आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये शेष 13,18,044 रुपये सुगमांक में 13,18,000 रुपये मात्र की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 13,18,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

(हजार रुपयों में)

2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेतर—–	
02— समाज कल्याण–	
107— स्वैच्छिक संगठनों को सहायता–	
04— स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अनाथालयों / यतीमखानों की संवासिनियों के भरण-पोषण मद में राज्य सरकार का सहयोग	
14— सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	13,18

राजस्व विभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खसरा खतौनी तथा जमाबन्दी के फार्मों की आपूर्ति	49,86	–	–	49,86	2029—भू-राजस्व	167 न
	योग :	49,86	–	–	49,86		

राजस्व विभाग

खसरा/खतौनी तथा जमाबन्दी फार्मों की आपूर्ति

प्रदेश में काश्तकार/खातेदारों की संख्या में वृद्धि तथा खसरा/खतौनी/जमाबंदी फार्मों की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि कुछ माह की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व परिषद् स्तर पर फार्मों के मुद्रण की व्यवस्था करके जनपदों को समय से उपलब्ध करा दिया जाय ताकि काश्तकारों/खातेदारों को असुविधा न होने पाये।

तद्नुसार केवल वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए इस मद के लिए 49,86,000 रुपये की लागत से उक्त फार्मों की मुद्रण व्यवस्था राजस्व परिषद् स्तर से कराने की आवश्यकता को देखते हुए इतनी धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

	(हजार रुपयों में)
2029— भू-राजस्व-आयोजनेतर –	
103— भू-अभिलेख –	
04— जिला व्यय –	
12—प्रकाशन	49,86

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन	5,00	–	–	5,00	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	171 न
2	उ० प्र० उर्दू अकादमी के लिये अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था	16,49	–	–	16,49	2202—सामान्य शिक्षा	171 न
	योग :	21,49	–	–	21,49		

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के प्रोत्साहन के लिये राज्य एकीकरण परिषद् का गठन प्रदेश स्तर पर पहले से ही किया जा चुका है।

2— राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के दृष्टिकोण से प्रदेश के जनपद एवं मंडलीय स्तर पर गोष्ठियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव के लिये प्रयलरत महानुभावों की एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिये जाने का प्रस्ताव भी है।

3— उपरोक्त आयोजनों के लिये प्रदेश मुख्यालय, मंडल तथा जनपद स्तर पर विभिन्न मदों पर निम्न व्यय आवर्तक आधार पर किया जाना प्रस्तावित है :–

			(हजार रुपयों में)
(I)	जिला स्तर पर गोष्ठियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 63 × 2,000	=	1,26,000
(II)	मंडलीय स्तर पर गोष्ठियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 13 ×15,000	=	1,95,000
(III)	प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन		
	(क) राष्ट्रीय स्तर का एक नकद पुरस्कार	=	1,00,000
	(ख) गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	=	79,000
		कुल योग =	5,00,000

4— तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

5— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन –

2070— अन्य प्रशासनिक सेवाएं –आयोजनेतर –

(हजार रुपयों में)

800— अन्य व्यय –

08— उपाध्यक्ष, राज्य एकीकरण परिषद् को देय सुविधायें –

33—अन्य व्यय — 5,00

उ० प्र० उर्दू अकादमी के लिये अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था

उ० प्र० उर्दू अकादमी प्रदेश में उर्दू भाषा के प्रचार/प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। अकादमी की स्थापना की तिथि से ही वर्षानुवर्ष प्रदेश के आय-व्ययक में संस्था के लिये वित्तीय व्यवस्था 'ब्लाक अनुदान' के रूप में की जाती रही है। उसको देय अनुदान की धनराशि वित्तीय वर्ष 1988-89 से अपरिवर्तनीय चली आ रही है एवं उसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है जबकि अब स्थिति यह है कि वर्तमान 38.69 लाख रुपये के वार्षिक अनुदान राशि में से केवल स्थापना व्यय अर्थात् वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों एवं मदों पर ही व्यय का प्रतिशत कुल ग्रान्ट के सापेक्ष लगभग 59 प्रतिशत है। परिणाम यह है कि उ० प्र० उर्दू अकादमी जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित की गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति में वह विफल ही रही है और अकादमी में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिये अपेक्षित धनराशि शनैः-शनैः कम होती जा रही है।

2— अतः यह प्रस्तावित है कि अकादमी की निम्नांकित आवश्यकताओं के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 से आवर्तक आधार पर वृद्धि की जाय तथा जिसका योग 16,49,000 रुपये होता है। अतिरिक्त मांग योजना के क्रियान्वयन हेतु वास्तविक आवश्यकता वर्ष 1988-89 में अनुमोदित व्यय को आधार मान कर ही अपेक्षित है :-

	मद	अतिरिक्त आवश्यकता (रु०)
1—	पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, बाल एवं स्वतंत्रता संग्राम साहित्य संबंधी पुस्तकों सहित	3,20,000
2—	उ० प्र० के लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान	1,25,000
3—	अकादमी का केन्द्रीय उर्दू पुस्तकालय	17,000
4—	प्रदेश के वृद्ध, बीमार, जरूरतमंद लेखकों को आर्थिक सहायता	50,000
5—	उर्दू छात्रों को छात्रवृत्ति	3,00,000
6—	अकादमी द्वारा संचालित तथा अन्य सहायता प्राप्त किताबत स्कूल	1,06,000
7—	उर्दू टाइप-स्कूल	8,000
8—	उर्दू कोचिंग-स्कूल	14,000
9—	वेतन (स्थापना)	1,45,000
10—	महंगाई भत्ता	2,95,000
11—	अन्य भत्ते एवं अन्तरिम सहायता आदि	1,16,000
12—	अकादमी सदस्यों हेतु यात्रा-भत्ता	20,000
13—	अकादमी वाहन अनुरक्षण एवं पी० ओ० एल०	5,000
14—	लेखन सामग्री, डाक-टिकट, टेलीफोन एवं साज-सज्जा के क्रय एवं अनुरक्षण	1,28,000
	योग :	16,49,000

इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये कुल 16,49,000 रुपये की अतिरिक्त आवर्तक धनराशि की आवश्यकता है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 16,49,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायगी।

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-

2202— सामान्य शिक्षा—आयोजनेतर —

05— भाषा विकास — (हजार रुपयों में)

102— आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का सम्बर्धन —

03— प्रदेश में उर्दू का विकास एवं प्रचार

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 16,49

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वर्ष 1994-95 के आय-व्यायक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोषागार निदेशालय के प्रशासन के स्तर के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	8,21	–	–	8,21	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	175 न
2	प्रदेश के 11 कोषागारों में चेक प्रणाली का क्रियान्वयन	5,82	–	–	5,82	---तदैव---	175 न
3	प्रदेश के 20 कोषागारों में टेलर पद्धति से पेटी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया लागू किया जाना	2,60	-	–	2,60	---तदैव---	176न
4	प्रदेश के कोषागारों को कैश वाहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना	5,97	–	–	5,97	---तदैव---	176 न
5	प्रदेश के 11 कोषागारों में पेंशनर्स को बैंक के माध्यम से सीधे पेंशन भुगतान की योजना लागू किया जाना	11	-	–	11	---तदैव---	177 न
6	प्रदेश के 6 उप-कोषागारों में गार्डरूम एवं डबल लाक का निर्माण	–	19,19	–	19,19	4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	177 न
7	प्रदेश के उप-कोषागार भवनों का निर्माण	–	70,00	–	70,00	---तदैव---	178 न
	योग :	22,71	89,19	–	1,11,90		

वित्त विभाग

(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

कोषागार निदेशालय के प्रशासन के स्तर के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन

कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ के बढ़े हुए कार्य भार को देखते हुए इसके कार्यालय के सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है जिसके लिए कोषागार निदेशालय में 18 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है। इस पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 8,21,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 8,21,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2— व्यय का विभाजन –

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग –

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	2000-3200	1
2	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-II	1400-2600	2
3	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	6
4	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	7
5	अर्दली/चपरासी	750-940	2
			कुल 18 पद

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :–

2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेतर —

095— लेखा तथा खजाना निदेशालय – (हजार रुपयों में)

01— कोषागार निदेशालय –	
01—वेतन	3,45
03—महंगाई भत्ता	3,35
05—अन्य भत्ते	90
06—कार्यालय व्यय	50
32—अन्तरिम सहायता	1
योग	8,21

प्रदेश के 11 कोषागारों में चेक प्रणाली का क्रियान्वयन

वर्तमान में प्रदेश के 11 कोषागारों में चेक प्रणाली लागू है, जो काफी सफल, सुविधाजनक एवं लाभप्रद सिद्ध हुई है। अतएव वर्ष 1994-95 में प्रदेश के 11 अन्य कोषागारों में भी इस प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है। इस पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में 5,82,100 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,82,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन –आयोजनेतर — (हजार रुपयों मे)

097— खजाना स्थापना -

01— मुख्य-

06—कार्यालय व्यय	1,19
19—लघु निर्माण कार्य	4,63
योग	5,82

प्रदेश के 20 कोषागारों में टेलर पद्धति से पेटी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया लागू किया जाना

प्रदेश के कोषागारों में टेलर पद्धति से पेंशन वितरण की योजना काफी सरल एवं सुविधाजनक सिद्ध हुई है। प्रदेश के अन्य 20 कोषागारों में भी टेलर प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कोषागारों में काउन्टर निर्माण करवाकर उपलब्ध स्टाफ से ही कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त 20 कोषागारों से 7 कोषागारों में काउन्टर उपलब्ध है शेष 13 कोषागारों में काउन्टर निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 2,60,000 रुपये की आवश्यकता है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 2,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2054— खजाना तथा लेखा प्रशासन–आयोजनेतर

097— खजाना स्थापना - (हजार रुपयों में)

01— मुख्य -

23— अनुरक्षण	2,60

प्रदेश के कोषागारों को कैश वाहन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

प्रदेश के कोषागारों को कैश वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मेरठ व वाराणसी कोषागार हेतु वर्ष 1994-95 में एक-एक डीजल जीप उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। दो डीजल जीप के क्रय हेतु कुल 5,20,000 रु० का व्यय अनुमानित है। उक्त दो डीजल जीपों हेतु एक-एक ड्राइवर वेतनमान रु० 950-1500 के दो पदों का सृजन किया जाना है। इस प्रकार दो डीजल जीपों के क्रय तथा दो ड्राइवर के पदों के सृजन पर वर्ष 1994-95 में कुल 5,97,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 5,97,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2054— राजकोष और लेखा प्रशासन –आयोजनेतर

097— राजकोष स्थापना- (हजार रुपयों में)

01— मुख्य-

01—वेतन	24
03—महंगाई भत्ता	20
05—अन्य भत्ते	2
08—कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारें और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय	5,20
09—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30
32—अन्तरिम सहायता	1
योग	5,97

प्रदेश के 11 कोषागारों में पेंशनर्स को बैंक के माध्यम से सीधे पेंशन भुगतान की योजना लागू किया जाना

प्रदेश सरकार के पेंशनर्स को बैंक के माध्यम से पेंशन के सीधे भुगतान की योजना अत्याधिक सुविधाजनक एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई है। अतः प्रदेश के 11 कोषागारों में उक्त योजना को उपलब्ध स्टाफ से ही क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है । वित्तीय वर्ष 1994-95 के आया-व्ययक में योजना के लागू किये जाने के उद्देश्य से 11,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में उतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2054— खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेतर --

097— खजाना स्थापना	(हजार रुपयों में)
01— मुख्य	
06— कार्यालय व्यय	11

प्रदेश के 6 उप कोषागारों में गार्डरूम एवं डबल लाक का निर्माण

सप्तम एवं नवम् वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर निर्मित प्रदेश के 6 उप कोषागारों में अभी तक गार्डरूम निर्मित न होने तथा डबल लाक की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उक्त उपकोषागारों का कार्य संचालन नहीं किया जा सका है। अतः वित्तीय वर्ष 1994-95 में मौदहा, हमीरपुर, कुल पहाड़ (हमीरपुर), बेरीनाग (पिथौरागढ़), थराली (चमोली), डुण्डा (उत्तरकाशी) एवं श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में गार्डरूम निर्मित किये जाने तथा डबल लाक की सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वर्ष 1994-95 में 119,19,000 रु० का व्यय निहित है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 19,19,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

4059— लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनेतर -

01— कार्यालय भवन —	(हजार रुपयों में)
051— निर्माण -	
03— अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वियन -	
0301— कोषागारों/उपकोषागारों हेतु गार्डरूम तथा पेंशनर्स प्याऊ आदि का निर्माण -	
18— वृहत निर्माण कार्य	19,19

प्रदेश के उपकोषागार भवनों का निर्माण

वर्तमान में प्रदेश के कतिपय उप कोषागारों हेतु भवन निर्मित न होने के कारण वे किराये के भवनों में संचालित हैं। अतः उक्त भवन रहित उप कोषागारों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में 5 उप कोषागारों के भवन निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये इस वर्ष कुल 70,00,000 रु० की आवश्यकता है।

तद्नुसार वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 70,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन –

4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनेतर –

01— कार्यालय भवन – (हजार रुपयों में)

051— निर्माण –

03— अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन –

0301— कोषागारों/उपकोषागारों हेतु भवन का निर्माण –

18—वृहत् निर्माण कार्य 70,00

विधान सभा सचिवालय

वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनेतर

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1994-95 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1994-95 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया जाना है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सचिव विधान सभा के लिये नई कार का क्रय	1,98	–	–	1,98	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	181 न
	योग :	1,98	–	–	1,98		

विधान सभा सचिवालय

सचिव विधान सभा के लिए नई कार का क्रय

विधान सभा सचिवालय में सचिव विधान सभा के लिए एक नई एम्बेसडर कार का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर आगणन के अनुसार साज-सज्जा सहित कुल 1,98,000 रु० का अनावर्तक व्यय निहित है।

तद्नुसार वितीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में 1,98,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन :-

2011—संसद/राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र विधान मण्डल—आयोजनेतर—

02— राज्य संघ/राज्य क्षेत्र विधान मण्डल——	(हजार रुपयों में)
103— विधान मण्डल सचिवालय	
01— विधान सभा सचिवालय	
08— कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफ कारों और अन्य मोटर गाड़ियों का क्रय (मतदेय)	1,98

LIBRARY & DOCUMENTATION CEN
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8272
.............05-10-94

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-119 सा० वित्त-11-1-94—(2857)—2,500—(कम्प्यूटर/आफसेट)

NIEPA DC
D08272